

इकाई 1 बाल अधिकार

इकाई की रूपरेखा

- 1.1 प्रस्तावना
- 1.2 उद्देश्य
- 1.3 बाल अधिकार – संयुक्त राष्ट्र संधिपत्र, 1989
- 1.4 भारत में बाल अधिकार
- 1.5 शिक्षा का अधिकार : 86वाँ भारतीय संविधान संषोधन, 2002
- 1.6 सारांश
- 1.7 सत्रांत प्रज्ञ
- 1.8 बोध प्रज्ञों के उत्तर
- 1.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1.1 प्रस्तावना

“किसी समाज की आत्मा का सूक्ष्म प्रकटीकरण इससे बेहतर नहीं हो सकता कि वह अपने बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार करता है।”

— नेल्सन मंडेला

बच्चे समाज का भविष्य माने जाते हैं और श्रेष्ठतम मानव संसाधन का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूरे विष्य में सभी देषों के महत्वपूर्ण सरोकारों में से एक बच्चों का सुखी होना है। भारत बच्चों की सबसे अधिक जनसंख्या वाला बड़ा देष है और राष्ट्र के विकास के लिए बच्चों के अधिकारों व रुचियों की सुरक्षा परम आवश्यक है। मानव होने के नाते हम सबके कुछ अधिकार हैं जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी पहचान संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (Universal Declaration of Human Rights - UDHR) में और बाद में बाल अधिकार संधिपत्र द्वारा 1989 में की गई। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) ने संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधिपत्र (Convention on Rights to Child - CRC) को आधार प्रदान किया तथा बहुत से देषों द्वारा बाल अधिकारों की स्वीकार्यता का समावेषन कराया। आप संभवतः नार्वे में भारतीय दम्पत्ति के दो बच्चों संबंधी खबरों से परिचित होंगे जिन्हें नार्वे की सरकारी संस्थाओं ने जब्त कर पोषक देखभाल (foster care) में इस दलील के आधार पर रखा कि जिस तरह से इस अप्रवासी भारतीय दम्पत्ति द्वारा अपने बच्चों की देखभाल की जा रही थी, वह इन बच्चों के सर्वश्रेष्ठ हित में नहीं था और उन्हें संरक्षण की आवश्यकता थी। यह “सर्वश्रेष्ठ हित” कैसे परिभाषित हुआ और यह संप्रत्यय कहाँ से विकसित हुआ? हम कैसे तय कर सकते हैं कि बच्चे के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं? क्या राज्यों को निर्देशित करने हेतु कोई मानक या दिष्टा-निर्देश है? इन प्रज्ञों का उत्तर बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधिपत्र में मिल सकते हैं। यह संधिपत्र एक मानवाधिकार अनुबंध हैं जो बाल अधिकारों पर विशेष तौर से बात करता है। दुनिया के 180 से अधिक देषों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और भारत उनमें से एक है। भारतीय संविधान कहता है कि कानून की नजर में सभी बच्चे एक समान हैं। बच्चों छः से चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रत्याभूत करता है। इस इकाई में हम बच्चों के अधिकार तथा शिक्षा को उनके मूलभूत अधिकार के रूप में समझने का प्रयत्न करेंगे।

इकाई 2 बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

इकाई की रूपरेखा

- 2.1 प्रस्तावना
 - 2.2 उद्देश्य
 - 2.3 अधिनियम का इतिहास
 - 2.4 बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
 - 2.5 शिक्षा के अधिकार में विविध भागीदारों की भूमिका
 - 2.5.1 केन्द्र सरकार की भूमिका
 - 2.5.2 राज्य शिक्षा विभाग की भूमिका
 - 2.5.3 स्थानीय प्राधिकारियों की भूमिका
 - 2.5.4 शिक्षकों की भूमिका
 - 2.5.5 विद्यालय प्रबंध समिति की भूमिका
 - 2.6 विद्यालयों में प्रभावी अधिगम वातावरण
 - 2.7 शिक्षा के अधिकार हेतु वित्त प्रबंध एवं कार्यान्वित
 - 2.8 सारांष
 - 2.9 इकाई के अंत में अभ्यास
 - 2.10 बोध प्रब्लेमों के उत्तर
 - 2.11 पठनीय सामग्री
-

2.1 प्रस्तावना

बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (Right to Education – RTE) अधिनियम, 2009 भारतीय बच्चों के लिए एक ऐतिहासिक या युगांतरकारी घटना है। भारतीय इतिहास में प्रथम बार राज्य द्वारा परिवार एवं समुदायों की सहायता से बच्चों को गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार के प्रति आषासित किया गया है।

शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों को उनके समीपवर्ती विद्यालय/प्रतिवास में समुचित आयु की कक्षा में आठ वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत शिक्षा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का एक भाग है जो संविधान के चौथे अध्याय का अंष है। किन्तु चौथे अध्याय में सिद्धांत कानून द्वारा बाध्यकारी नहीं है। 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के मूल अधिकार का हकदार बनाकर संविधान के अध्याय 3 में अनुच्छेद 21 के रूप में रखकर भारतीय इतिहास में पहली बार हम लोगों ने इस अधिकार को बाध्यकारी/प्रवर्तनीय बना दिया है।

बच्चों के पंजीकरण के साथ-ही-साथ उनकी उपस्थिति और 8 वर्ष के विद्यालयीय शिक्षा को सुनिष्ठित रखने का उत्तरदायित्व राज्य का होगा। किसी भी प्रकार की संदिग्धता जो

बुनियादी स्तर पर अधिनियम के कार्यान्वयन में बाधा डाल सकती है, को दूर करने के उद्देश्य केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय के लिए स्पष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कोई भी बच्चा कागजात की वजह से नामांकन से बच्चित नहीं किया जाएगा, यदि दाखिला चक्र की समाप्ति हो गई हो तो भी कोई बच्चा बिना प्रवेष के लौटाया नहीं जाएगा और किसी भी बच्चे को नामांकन हेतु परीक्षण देने को नहीं कहा जाएगा। अषक्त या विकलांग बच्चे भी मुख्यधारा वाले विद्यालयों में विक्षित किए जाएँगे।

1 अप्रैल, 2010 को जब अधिनियम लागू हुआ तब शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार बना कर भारत विष्व के 135 देशों के समूह में सम्मिलित हो गया।

2.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप:

- अधिनियम के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन कर सकेंगे;
- अधिनियम के प्रावधानों की सूची बना सकेंगे;
- अधिनियम के कार्यान्वित करने में विविध भागीदारियों की भूमिका का वर्णन कर सकेंगे; और
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम विद्यालयों में प्रभावी अधिगम वातावरण को कैसे सुनिष्चित करेगा – इसका वर्णन कर सकेंगे।

2.3 अधिनियम का इतिहास

प्रस्तुत अधिनियम का मूल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 है। लेकिन विशेष रूप से संवैधानिक संघोधन जिसके द्वारा अनुच्छेद 21क को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, के तहत शिक्षा को एक मूल अधिकार बनाना इसका आधार है। इस संघोधन ने इसके कार्यान्वयन की विधि का वर्णन करने के लिए विधि निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया जिसने शिक्षा विधेयक (Education Bill) के पृथक प्रारूप को तैयार करना अनिवार्य बना दिया। विधेयक का प्रथम प्रारूप वर्ष 2005 में तैयार हुआ। निजी विद्यालयों में अषक्त बच्चों के लिए 25 प्रतिष्ठत आरक्षण प्रदान करने के अधिदेषात्मक प्रावधानों के कारण इसकी बहुत आलोचना हुई। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (Central Advisory Board of Education - CABE) जिसने विधेयक का प्रारूप तैयार किया, ने पूर्वपेक्षित इस प्रावधान को लोकतांत्रिक एवं समतावादी समाज की रचना के लिए सार्थक रूप से ग्रहण किया। आरंभ में भारतीय विधि आयोग ने अषक्त बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में 50 प्रतिष्ठत आरक्षण प्रस्तावित किया।

यह विधेयक मंत्रिमंडल के द्वारा 2 जुलाई 2009 को स्वीकृत हुआ। राज्य सभा ने विधेयक को 20 जुलाई 2009 को और लोक सभा ने 4 अगस्त 2009 को पारित किया। इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और यह बच्चों के निःषुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के कानून के रूप में 3 सितम्बर 2009 को अधिसूचित हुआ। 1 अप्रैल 2010 को यह कानून जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ। भारत के इतिहास में पहली बार एक भाषण के द्वारा एक कानून को लागू किया गया, भारत के प्रधानमंत्री के इस अभिव्यक्ति के द्वारा कि "हम लोग सामाजिक कोटि और लिंग का ध्यान किए बिना सभी बच्चों तक शिक्षा के आगमन को सुनिष्चित रखने के लिए बहुबद्ध हैं, शिक्षा जो उन्हें कौशल, ज्ञान,

मूल्य और अभिवृत्ति या व्यवहार अर्जित करने में समर्थ बनाता है और जो भारत का उत्तरदायी और क्रियाशील नागरिक बनाने के लिए आवश्यक है।"

बच्चों के लिए निःशुल्क
एवं अनिवार्य शिक्षा का
अधिकार अधिनियम, 2009

2.4 बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

नए कानून को अवश्य ही बच्चों के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है। यह औचित्यपूर्ण ढाँचा प्रदान करता है जो 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों को युक्तिसंगत, गुण, समदृष्टि के सिद्धांतों पर आधारित और विभेदीकरण से रहित शिक्षा का अधिकार देता है। यह अधिकार बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से नामांकन, उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति का अवसर प्रदान करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बच्चों के लिए भय, तनाव और चिंता से मुक्त शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था करता है। इस अधिनियम में कई प्रावधान हैं, उदाहरण के तौर पर प्रावधान शारीरिक दंड, कैद और निष्कासन का प्रतिषेध करता है जो आवश्यक है आगे बढ़ने के लिए, और यह सुनिष्चित रखने के लिए कि हम लोग एक व्यवस्था की ओर गतिशील हो रहे हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में है। राज्य बच्चों के सीखने का गर्मजोषी से स्वागत करता है और प्रेरक उपागम उपलब्ध कराता है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 / 92) फिर भी सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह तय करना है कि शिक्षण—अधिगम प्रक्रिया तनाव और चिंता से मुक्त है (धारा 29) साथ ही पाठ्यचर्या संबंधी सुधार की स्पष्ट विवक्षा हो। बच्चों को गहराई एवं व्यापक रूप में अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु जाँच एवं ग्रेडिंग प्रणाली का पुनरावलोकन किया जाना आवश्यक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम शिक्षकों के उत्तरदायित्व का भी निर्धारण करता है। उत्तरदायी शिक्षक व्यवस्था को यह सुनिष्चित करना आवश्यक है कि बच्चे अधिगम कर रहे हैं और उन्हें उचित वातावरण में अधिगम का अधिकार मिल रहा है या नहीं अर्थात् तनाव और चिंता से उनकी स्वतंत्रता भंग तो नहीं हुई।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- 1) प्राथमिक शिक्षा के पूरी होने तक समीपवर्ती विद्यालय में बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार।
- 2) यह स्पष्ट करता है कि "अनिवार्य शिक्षा" का अर्थ निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराने हेतु उचित सरकार का बाध्य हो जाना है और यह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से नामांकन, उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिष्चित करना है। 'मुफ्त' का अर्थ है कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार के शुल्क या परिव्यय या लागत को छुकाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो उसे प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण करने से रोक सकता है।
- 3) यह नामांकन रहित बच्चों को उनकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में नामांकन का प्रावधान करता है।
- 4) यह बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने में समुचित सरकार, स्थानीय अधिकारी एवं माता—पिता के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को विनिर्दिष्ट करता है और केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच वित्तीय एवं अन्य उत्तरदायित्वों की सहभागिता करता है।
- 5) यह अन्य बातों के साथ—साथ, छात्र—शिक्षक अनुपात, भवन एवं बुनियादी संरचना, विद्यालय कार्य दिवसों, शिक्षकों के कार्यावधि से संबंधित प्रतिमानों एवं आदर्शों का भी निर्धारण करता है।

- 6) यह षिक्षकों के आनुपातिक विस्तार को बताता है यह सुनिष्चित करके कि विनिर्दिष्ट छात्र-षिक्षक अनुपात को प्रत्येक विद्यालय ने कायम रखा है या सिर्फ औसत रूप में राज्य, जिला या खंड ने। इस प्रकार यह सुनिष्चित करता है कि षिक्षकों की नियुक्ति में व्यावहारिक रूप से शाहरी ग्रामीण असंतुलन नहीं है। 10 वर्षीय जनगणना, स्थानीय अधिकारियों, राज्य विधानमंडलों एवं संसद चुनावों और महाविपदा में राहत कार्यों को छोड़कर यह षिक्षकों के अषेक्षणिक कार्यों के विस्तार को रोकता भी है।
- 7) यह समुचित रूप से प्रशिक्षित षिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करता है यथा—अपेक्षित प्रशिक्षण और शैक्षणिक योग्यता से युक्त षिक्षक।
- 8) 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों के लिए निशेध करता है: (i) शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न, (ii) प्रवेष की प्रक्रिया की जाँच, (iii) प्रति व्यक्ति शुल्क, (iv) षिक्षकों के द्वारा निजी अनुषिक्षण, (v) मान्यता प्राप्त किए बिना विद्यालय का संचालन।
- 9) यह निम्नलिखित दंडों अथवा जुर्मानों का प्रावधान करता है:
 - क) प्रति व्यक्ति शुल्क के अभियोग हेतु – लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क का 10 गुण आर्थिक दंड;
 - ख) नामांकन के दौरान जाँच में सहायता लेने के लिए – 25,000 रुपए पहले समझौते के लिए, 50,000 रुपए परिवर्ती प्रत्येक समझौते के लिए; और
 - ग) मान्यता प्राप्त किए बिना विद्यालय संचालित करने पर एक लाख तक का आर्थिक दंड और समझौते के मामले में 10,000 प्रति दिन जब से समझौता निरंतर चल रहा हो।
- 10) यह संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के सामंजस्य सहित पाठ्यक्रम विकास का प्रावधान करता है जिसमें बच्चों के साथ मित्रतापूर्ण एवं बाल केन्द्रित अधिगम प्रणाली के माध्यम से बच्चों के संर्वाग्रिक विकास, बच्चों के ज्ञान, शक्यता और योग्यता में वृद्धि तथा बच्चों को भय, मानसिक आघात और चिंता से मुक्त रहने को सुनिष्चित करता है।
- 11) यह राष्ट्रीय एवं राज्य आयोगों द्वारा, जिनके पास दीवानी अदालत का अधिकार होगा, बच्चों के अधिकार की सुरक्षा के लिए षिकायतों में सुधार और बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा के अधिकार की सुरक्षा और संचालन का प्रावधान करता है।
- 12) सभी निजी विद्यालयों को समीपस्थ अषक्त समूहों के 25 प्रतिष्ठत बच्चों को निःशुल्क षिक्षा के लिए नामांकन करना है। यदि रुद्धिवादी 1 कि.मी. के घेरे में संख्या की पूर्ति नहीं हो सकी तो इसे बढ़ाया जा सकता है – प्रत्येक वर्ष उस कक्षा में जिसमें उन्होंने नए बच्चों का प्रवेष कराया गया हो।

उपर्युक्त प्रावधानों के अतिरिक्त अधिनियम निम्नांकित गुणात्मक मानक की भी गारंटी देता है: क) छात्र-षिक्षक अनुपात 30:1, प्रतिदिन न्यूनतम 4 घंटे के आदेषात्मक समय रहित और प्रति वर्ष न्यूनतम 200 कार्य दिवस; ख) भवन (हर मौसम में उपयुक्त बंधन रहित प्रवेष, घेराबंद दीवार, प्रत्येक षिक्षक के लिए एक कक्षा प्रधानाध्यापक के लिए पृथक कमरा, पृथक शौचालय, सुरक्षित पेय जल, मध्याह्न भोजन हेतु रसोईघर और खेल का मैदान; ग) षिक्षण—अधिगम सामग्री; घ) पुस्तकालय और च) मनोरंजन एवं खेलकूद के साधन।

बोध प्रष्ठ

टिप्पणी: क) अपने उत्तर दिए गए स्थान में दीजिए।

ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

1) शिक्षा के अधिकार के विषय में आप क्या जानते हैं?

.....
.....
.....
.....

2) अधिनियम का क्या अभिप्राय है और भारत के लिए इसकी क्या सार्थकता है?

.....
.....
.....
.....

2.5 शिक्षा के अधिकार में विविध भागीदारियों की भूमिका

यह अधिनियम स्पष्ट रूप से केन्द्र और राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकारियों और विद्यालय प्रबंध समिति के कार्यों और भूमिका का सीमांकन करता है।

2.5.1 केन्द्र सरकार की भूमिका

केन्द्र सरकार प्राथमिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में 15 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार समिति (National Advisory Council - NAC) का गठन करेगी। समिति का कर्तव्य है कि विधेयक के कार्यान्वयन में सरकार को निम्न विषयों में सलाह देगी:

- राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा (National Curriculum Framework - NCF) को शैक्षणिक प्राधिकारियों की सहायता से विकसित करना;
- शिक्षक की अर्हता और प्रष्टक्षण के मानक को लागू एवं विकसित करना;
- राज्य सरकार को नवाचार, शीघ्र, योजना और सामर्थ्य के लिए तकनीकी एवं आर्थिक रूप से सहायता एवं संसाधन उपलब्ध कराना;
- विज्ञप्ति द्वारा अनुसूची में संबोधन करना।

2.5.2 राज्य शिक्षा विभाग की भूमिका

- सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना;
- अपेक्षित बुनियादी संरचना, शिक्षकों एवं अधिगम के साधनों सहित समीपवर्ती विद्यालय की उपलब्धता को सुनिष्चित कर लेना जैसा कि अधिनियम में निर्दिष्ट है;

बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

- सभी बच्चों के अनिवार्य रूप से नामांकन, उपस्थिति एवं प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिष्ठित कर लेना;
- किसी भी स्तर पर किसी बच्चे के विरुद्ध विभेदीकरण को रोकना;
- बुनियादी संरचना के अंतर्गत कर्मचारी, उपकरण, शिक्षक, प्रषिक्षण की सुविधा, विशिष्ट छात्र प्रषिक्षण की सुविधा और विद्यालय भवन उपलब्ध कराना;
- अधिनियम की विज्ञप्ति में निर्दिष्ट मानकों को अनुकूल बनाने हेतु गुणवत्ता युक्त शिक्षा को सुनिष्ठित करना;
- शैक्षणिक अधिकारी की नियुक्ति करना।

2.5.3 स्थानीय प्राधिकारियों की भूमिका

- अपने क्षेत्राधिकार में रहने वाले चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों के अभिलेख को व्यवस्थित करना
- प्रवासी बच्चों सहित सभी बच्चों के नामांकन को सुनिष्ठित करना
- किसी भी बच्चे के विरुद्ध भेदभाव न किए जाने को सुनिष्ठित करना
- शैक्षणिक कलैण्डर का निर्धारण करना।
- अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विद्यालयों के कार्यक्रमों का संचालन करना।

2.5.4 शिक्षकों की भूमिका

- विद्यालय में नियमितता एवं समयनिष्ठा को कायम रखना।
- निर्दिष्ट समय में पूरे पाठ्यक्रम के अध्यापन को पूर्ण करना
- सभी बच्चों के अधिगम योग्यता का मूल्यांकन करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें पूरक अतिरिक्त निर्देश प्रदान करना।
- माता—पिता के साथ बैठक का आयोजन करना और उन्हें बच्चे से संबंधित उपस्थिति में नियमितता, अधिगम—योग्यता, प्रगति और अन्य विषयों के प्रति सूचित करना।

2.5.5 विद्यालय प्रबंध समिति की भूमिका

अधिनियम के भाग 21 के तहत सभी सरकारी, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त और विशेष वर्ग के विद्यालय विद्यालय प्रबंधन समिति (School Management Committee - SMC) द्वारा संगठित होंगे। निजी विद्यालय भाग 21 के द्वारा अधीन नहीं बनाए जाएँगे क्योंकि वे पहले से ही अपनी संस्था/समाज के पंजीकरण के आधार पर प्रबंधन समिति के अधिदेशाधीन होते हैं।

विद्यालय प्रबंधन समिति में स्थानीय अधिकारी, शासकीय अधिकारीगण, माता—पिता, अभिभावकों और शिक्षकों को समाविष्ट किया जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:

- विद्यालय के कार्यों का संचालन
- विद्यालय के विकास की योजना को तैयार करना एवं उसकी अनुषंसा

- सरकारी अनुदान के उपयोग का प्रबोधन
- अन्य कार्यक्रमों को पूरा करना जैसा कि निर्धारित किया जाए।

बच्चों के लिए निःशुल्क
एवं अनिवार्य शिक्षा का
अधिकार अधिनियम, 2009

षिक्षा का अधिकार विद्यालय प्रबंधन समिति में 50 प्रतिष्ठत महिलाओं एवं अषक्त समूहों के बच्चों के माता-पिता को समाविष्ट करने का आदेष भी देता है। बालिकाओं एवं बालकों के लिए पृथक-पृथक शौचालय की सुविधा, स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान, पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य विज्ञान विषयों के माध्यम से इस प्रकार की सहभागिता बच्चों को मित्रवत् एवं "पूरे विद्यालय" के वातावरण को सुनिष्चित करने में निर्णायक होगी।

2.6 विद्यालयों में प्रभावी अधिगम वातावरण

षिक्षा के अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को प्रभावी अधिगम वातावरण के लिए बुनियारी संरचना एवं विषेषज्ञ मानदंड का अनुपालन करना अनिवार्य है। प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक 60 विद्यार्थियों पर दो प्रषिक्षित विषेषज्ञ उपलब्ध होंगे।

विषेषज्ञ के लिए अपेक्षित है कि वह समय का पाबंद हो तथा नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित हो पाठ्यक्रम निर्देश को पूर्ण को, अधिगम क्षमता को पहचाने और नियमित रूप से अभिभावक और विषेषज्ञ की बैठक आयोजित करें। विषेषज्ञ की संख्या छात्र की संख्या पर आधारित होगी न कि श्रेणी पर।

बच्चों के अधिगम परिणाम में सुधार के लिए राज्य विषेषज्ञ नेतृत्व में पर्याप्त सहायता को राज्य सुनिष्चित करेगा। समुदाय एवं सभ्य समाज विद्यालय की गुणवत्ता और निष्पक्षता को सुनिष्चित रखने में विद्यालय प्रबंधन समिति के सहयोग से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विषेषज्ञ के अधिकार को सभी बच्चों के लिए वास्तविक बनाने के लिए राज्य नीतिगत ढाँचा और परिचालन योग्य वातावरण तैयार करेगा।

2.7 विषेषज्ञ के अधिकार हेतु वित्त प्रबंध एवं कार्यान्वित

केन्द्र और राज्य सरकार विषेषज्ञ के अधिकार के लिए वित्तीय उत्तरदायित्व में साझेदारी करेंगे। केन्द्र सरकार व्यय का अनुमानित बजट तैयार करेगी। राज्य सरकार को इस राष्ट्रीय का एक निष्चित प्रतिष्ठत मुहैया कराया जाएगा। विषेषज्ञ के अधिकार के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने पर विचार करने के लिए केन्द्र सरकार वित्त आयोग से अनुरोध कर सकता है।

कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अवशिष्ट राष्ट्रीय वित्तीय उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होगा। इसमें एक अधिकरण अंतराल होगा जिसे सभ्य समाज (सिविल सोसाइटी) के साझेदारों, विकासशील एजेंसियों, निगमित संगठनों और देश के नागरिकों के द्वारा सहयोग किया जाना आवश्यक होगा।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for the Protection of Child Rights - NCPCR) इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए अभियपत्रों का पुनरावलोकन करेगा, विकायतकर्ता की जाँच करेगा और उसके पास कष्टकारी मुकदमों में दीवानी अदालत का अधिकार होगा। राज्य बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (State Commission for the Protection of Child Rights - SCPCR) या विषेषज्ञ के अधिकार के सुरक्षा प्राधिकरण (Right to Education Protection Authority - REPA) का गठन करेंगे।

बोध प्रष्टन

टिप्पणी: क) अपने उत्तर दिए गए स्थान में दीजिए।

ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

- 3) शिक्षा के अधिकार के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिष्चित रखने में समुदाय एवं मातापिता की भूमिका का परीक्षण करें।
-
-
-
-
-
-
-

- 4) शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रबोधन और कार्यान्वयन में किन-किन तत्वों को सम्मिलित किया जाना चाहिए?
-
-
-
-
-
-
-

2.8 सारांश

शिक्षा का मूल अधिकार अन्य मूल अधिकारों की भाँति राज्य और समाज को ऊँची श्रेणी प्रदान करता है। वैष्णिक समाज के सभ्य, प्रजातांत्रिक और विकसित अंगीभूत इकाई के रूप में वैष्णिक मान्यता का अधिकारी बनने के उद्देश्य से राज्य व्यवस्था के पास षिक्षित और प्रबुद्ध नागरिक अवघ्य होने चाहिए। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का विधिकरण/अध्यादेष संविधान द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सबसे प्रभावी कदम है। इसमें कमियों पर विचार किया गया है और कार्यान्वयन योजनाओं में इसे दूर किया गया है।

अधिनियम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 86वीं संवैधानिक संसोधन अधिनियम के कार्यान्वयन को सुनिष्चित रखने में सरकार की सक्रिय भूमिका की दिशा में पहला कदम है जो 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अधिनियम के प्रावधान सार्वजनिक विद्यालय तंत्र के विकास के लिए आधार प्रदान करते हैं जिससे सभी बच्चे गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार यह सामाजिक और आर्थिक रूप से सुविधाविहीन जनसंख्या के बहिष्कार को रोक सकता है।

2.9 इकाई के अंत में अभ्यास

बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के विविध प्रावधानों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

2.10 बोध प्रष्ठों के उत्तर

- 1) 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यह 86वीं संवैधानिक संघोधन अधिनियम में हाल ही में समाविष्ट अनुच्छेद 21क के तहत आरंभ किया गया है।
- 2) बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का लागू होना भारत के बच्चों के लिए ऐतिहासिक घटना है। प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है (जैसा कि शीर्षक है) – यह सुनिष्चित करने में यह अधिनियम भवन के ढाँचे के समान काम करता है और राज्य परिवार और समुदायों की सहायता से इस दायित्व को पूरा करता है। नि:शुल्क एवं बाल केन्द्रित, बाल-मैत्रीपूर्ण शिक्षा – दोनों को सुनिष्चित करने का इस तरह का राष्ट्रीय प्रावधान विष्य के कुछ ही देखों में है।
- 3) विद्यालय स्थानीय सत्ताधारी अधिकारी गणों, माता-पिता, अभिभावकों और शिक्षकों को समाविष्ट कर विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करेगा। विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी और सरकारी अनुदानों की उपयोगिता एवं विद्यालय के क्रियाकलापों का प्रबोधन करेगी। शिक्षा का अधिकार विद्यालय प्रबंधन समिति में 50 प्रतिष्ठत महिलाओं और सुविधावंचित समूह के बच्चों के माता-पिता को समावेष करने का अधिदेश भी जारी करता है। इस प्रकार की सामुदायिक भागीदारी बच्चों के साथ मित्रतापूर्ण संपूर्ण विद्यालय के वातावरण को तैयार करने में निर्णायक होगा। अन्यों के बीच विद्यालय प्रबंधन समिति लड़के और लड़कियों के लिए अलग शौचालय सुविधाओं की व्यवस्था करेगा और स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान, पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी मुद्दों पर समुचित ध्यान देगा।
- 4) राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग (NCPCR) इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान दिए गए अधिकारों के अभयपत्र का पुनरावलोकन करेगा, शिकायतकर्ता की जाँच करेगा और उसके पास कष्टकारी मुकदमों में दीवानी अदालत का अधिकारों से युक्त होगा। राज्य बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए के लिए या शिक्षा के अधिकार की सुरक्षा प्राधिकरण (IEPA) के लिए राज्य आयोग का गठन करेंगे।

2.11 पठनीय सामग्री

बच्चों के प्राथमिक शिक्षा के मूल अधिकार पर प्रधानमंत्री का राष्ट्र को संबोधन <http://www.pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=60001>.

बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन पर समिति की रिपोर्ट और सर्व शिक्षा अभियान, अप्रैल 2010 का परिणाम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।

दी गजट ऑफ इंडिया, विधि एवं न्याय मंत्रालय (वैधानिक विभाग), नई दिल्ली, 27 अगस्त 2009 / भद्र 5, 1931 (षक) बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 सं. 35, 2009।

1.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप:

- मूल अधिकारों का प्रत्यय समझ सकेंगे;
- बाल अधिकारों की व्याख्या कर सकेंगे;
- भारतीय संविधान संशोधनों को विस्तारपूर्वक समझ सकेंगे।

1.3 बाल अधिकार : संयुक्त राष्ट्र संधिपत्र, 1989

बाल्यावस्था किसी के भी जीवन का स्वर्णिम काल माना जाता है जो निर्मलता, आनंद, खेल आदि से पहचाना जाता है। आपने अवश्य ही देखा होगा कि विभिन्न कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे भी बिना अपनी वंचना की परिस्थितियों की चिंता किए हुए कितने बेफिक्र तथा उत्सुक होते हैं। क्या आपने छोटे बच्चों की फ़िल्म “आई एम कलॉम” देखी है, जिसमें बच्चा ऊर्जा व जीवन से भरपूर था, जब अपने परिवार के साथ ढाबे पर काम करता था अब्दुल कलॉम बनने का स्वज्ञ देखता था। आप अपने चारों ओर के बच्चों में ऐसे कई उदाहरण ढूँढ़ सकते हैं। यह हम बड़ों की जिम्मेदारी है कि इन बच्चों के चेहरों पर मुस्कान निरंतर बनी रहे और ये जीवन की सुविधाओं का आनंद उठाएँ। अतः बाल अधिकार किसी समाज के एक महत्वपूर्ण सामाजिक, नैतिक व नीतिगत भाग होते हैं और यह उसी दिन प्रारंभ हो जाते हैं जिस दिन बच्चा माँ के गर्भ में आता है। बाल अधिकारों को विष्व भर में माना जाता है और यह उनके सर्वांगीण विकास को केन्द्रित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समय—समय पर बच्चों को विशेष अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता अनुभव की गई तथा सबसे पहले 1923 में सेव द चाइल्ड इंटरनेशनल यूनियन (SCIU) ने बच्चों के अधिकार का एक अधिकारपत्र विकसित किया। इस अधिकारपत्र ने सन् 1929 में बाल अधिकार घोषणापत्र का आधार तैयार किया जिसे “जिनेवा घोषणा” के नाम से जाना जाता है। सन् 1946 में संयुक्त राष्ट्र के बनने के बाद जिनेवा घोषणा के पुरुत्थान की संस्तुति की गई। संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसम्बर, 1948 को मानवाधिकारों में विष्वव्यापी घोषणा को स्वीकार किया जिसे मानवाधिकार कानून के निर्माण का प्रारंभिक बिन्दु माना जाता है। इस घोषणा में निःसंदेह बच्चों के अधिकार सम्मिलित हैं जिसने बाद में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधिपत्र (Convention on Rights to Child - CRC) को 1989 में जन्म दिया और पूरे विष्व में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। यह संधिपत्र 18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को वही मानवाधिकार प्रदान करता है जो हम बड़ों को प्राप्त हैं। बाल अधिकारों पर हमारी राष्ट्रीय नीतियाँ तथा षिक्षा को मूल अधिकार बनाने वाली नीति भी इस संधिपत्र के अनुसार है। यह प्रत्येक बच्चे में वैयक्तिक अद्वितीयता को स्वीकार करता है। यह बच्चों की बात को सुने जाने तथा उसके दृष्टिकोण को गंभीरता से लेने का अधिकार देता है। अभिव्यक्ति का बाल अधिकार यद्यपि उनके विचारों के निर्माण की क्षमता व स्पष्टता पर आधारित है।

वैष्विक समुदाय बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संधिपत्र को अंगीकार करता है तथा इसे बाल अधिकार संबंधी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी दस्तावेज बनाता है। इस संधिपत्र में 54 धाराएँ हैं जिसमें बाल अधिकारों के चार मुख्य क्षेत्र: जीवन का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार व भाग लेने का अधिकार अधिव्यापित हैं। इन 54 धाराओं में धारा 1–41 बच्चों के अधिकार, धारा 42–45 लागू करने की कार्य प्रणाली तथा धारा 46–54 विभिन्न प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित हैं। यह 2 सितम्बर 1990 को अस्तित्व में आया।

संधिपत्र का उद्देश्य बच्चों को भेदभाव, उपेक्षा तथा दुर्व्यवहार से संरक्षित करता है। यह बच्चों के अधिकारों को शांतिकाल तथा सैनिक संघर्ष, दोनों समय सुरक्षित व लागू करता है। यह सुधारात्मक बिन्दु तथा सभ्य समाज के महत्वपूर्ण उपकरण एवं बच्चों के अधिकारों के संरक्षण व प्रोत्साहन में कार्यरत व्यक्ति विशेष, दोनों के लिए उपयोगी है।

यह प्रथम बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है जो एकरूपता से बच्चों के अधिकारों के संरक्षण व प्रोत्साहन के लिए वैष्णिक मान्यता प्राप्त मानक तथा प्रमाणिकता प्रदान करता है। यह नागरिक व राजनीतिक अधिकारों को आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों से जोड़कर मानवाधिकारों की अंतर्निर्भरता व अतःपूरकता की भावना को रेखांकित करता है। यह विश्लेषण की एक समग्र पद्धति पर जोर देता है तथा मान्यता देता है कि आनंद प्राप्त करने का एक बच्चे का अधिकार दूसरे बच्चे के आनंद प्राप्त करने के अधिकार से अलग नहीं किया जा सकता।

यह बच्चों के प्रति एक नए दृष्टिकोण का निर्माण करता है जिसमें बच्चों के अधिकारों का बच्चे के देष की सकारात्मक क्रियाओं, माता-पिता तथा संबंधित संस्थाओं द्वारा संरक्षण के प्रावधानों को बच्चों के अधिकारों व स्वतंत्रता रखने के प्रावधानों से जोड़ता है। इस प्रकार यह उन क्षेत्रों में अधिकारों को सम्मिलित करता है जिन्हें पूर्व के अंतर्राष्ट्रीय संधिपत्रों में शामिल नहीं किया गया जैसे बच्चों का स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार तथा उनके विचारों को गंभीरता से न लेना, बच्चे का जन्म से नाम व राष्ट्रीयता होने का अधिकार। यह संधिपत्र कुछ ऐसे विषयों जैसे – वैकल्पिक देखभाल, अपंगों के अधिकार, शरणार्थी बच्चों, किषोर अपराध न्याय हेतु प्रशासन के मानक भी तय करता है। यह उपेक्षा, प्रताड़ना या दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चों के समुत्थान तथा सामाजिक पुनर्संघटन पर बल देता है।

बच्चों के संरक्षण एवं पारिवारिक देखभाल में मदद हेतु राष्ट्र के कर्तव्यों पर बल देते समय, संधिपत्र इस कार्य में परिवार व माता-पिता की प्रारंभिक भूमिका को महत्व देता है। यह संस्थाओं, राज्यों या माता-पिता द्वारा सकारात्मक क्रियाकलापों की बात करता है।

संधिपत्र चार सामान्य सिद्धांतों पर आधारित है जो इसका दर्षन प्रस्तुत करते हैं तथा राष्ट्रीय कार्यक्रमों में उस दर्षन को सम्मिलित करने हेतु निर्देशन देते हैं।

1) **अभिवेदीकरण:** धारा दो कहती है:

- 1) राज्य पक्ष प्रत्येक बच्चे के लिए अपनी न्याय परिधि में बिना किसी प्रकार के भेदभाव, बच्चे या उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक की प्रजाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य विचारधारा, राष्ट्रीयता, नज्जाति या सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म या अन्य स्तर की परवाह किए बिना वर्तमान संधिपत्र में स्थापित अधिकारों का सम्मान सुनिष्ठत करेंगे।
- 2) राज्य पक्ष यह सुनिष्ठित करने के लिए उचित कदम उठाएँगे कि बच्चा स्तर, गतिविधियों, प्रस्फुटित विचार या बच्चों के माता-पिता की मान्यताओं, कानूनी अभिभावकों या पारिवारिक सदस्यों के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव या दंड के विरुद्ध संरक्षित हैं।

2) **बच्चे के श्रेष्ठतम हित:** धारा तीन कहती है:

- 1) बच्चों से संबंधित सभी क्रियाओं, चाहे वे सार्वजनिक या निजी सामाजिक भलाई के संस्थानों, कानूनों, प्रशासनिक निकायों या विधायी संस्थाओं, किसी के भी द्वारा हों, में बच्चों के श्रेष्ठतम हित को प्राथमिक महत्व मिलना चाहिए।

- 3) **सर्वोत्तम विकास:** धारा ४: कहती है:
 - 1) राज्य पक्ष जानें कि प्रत्येक बच्चे में जीवन का अधिकार अंतर्निहित है।
 - 2) राज्य पक्ष बच्चे के विकास एवं उत्तरजीवितता के सर्वोत्तम संभावित स्तर को सुनिष्ठित करेंगे।
- 4) **बच्चों का आवाज़:** धारा बारह कहती है:
 - 1) राज्य पक्ष सुनिष्ठित करेंगे कि जो बच्चा अपने अधिकारों के प्रति विचार निर्मित करने में सक्षम हों, उसे बच्चे को प्रभावित करने वाले सभी विषयों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार हो तथा बच्चे के दृष्टिकोण को उनको आयु तथा परिपक्वता के अनुसार उचित भारिता दी जाए।

धारा 23 अषक्त बच्चों, उनके अलगाव व भेदभाव के प्रति नाजुकता को पहचान से विशेष रूप से संबंधित है, यह कहती है:

- 1) राज्य पक्ष देखें कि एक मानसिक या शारीरिक अक्षम बच्चा एक पूर्ण एवं सम्मानित जीवन जिए तथा ऐसी परिस्थितियाँ हो जो समाज में बच्चे का सम्मान, आत्मनिर्भरता का प्रोत्साहन तथा उसकी सक्रिय सहभागिता को बढ़ावा दें।
- 2) राज्य पक्ष अषक्त बच्चे की विशेष देखभाल के अधिकार को पहचानें।
- 3) एक अषक्त बच्चे की विशेष आवश्यकताओं को पहचान कर इस प्रकार संरचनाएँ बनाए जिससे अषक्त बच्चे षिक्षा, प्रषिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएँ, पुनर्वास सेवाएँ, रोजगार हेतु तैयारी तथा मनोरंजनात्मक अवसरों तक इस प्रकार प्रभावी पहुँच बनाए व प्राप्त कर सकें जिससे बच्चे का सर्वोत्तम संभावित सामाजिक एकीकरण तथा वैयक्तिक विकास, जिसमें उसका सांस्कृतिक व आध्यात्मिक विकास सम्मिलित है ..., उच्चतम स्तर तक हो सके।

धारा 28 व 29 में षिक्षा का अधिकार आता है। धारा 28 कहती है:

- 1) राज्य पक्ष बच्चे के षिक्षा के अधिकार को पहचाने तथा इस अधिकार को विकासात्मक एवं समान अवसरों के आधार पर प्राप्त करने के लिए, विशेषतः वे:
 - क) प्राथमिक षिक्षा को अनिवार्य व सभी के लिए निःशुल्क करें;
 - ख) माध्यमिक षिक्षा के विभिन्न स्वरूपों, जिसमें सामान्य व व्यावसायिक षिक्षा सम्मिलित है, के विकास को प्रोत्साहित करें, उसे प्रत्येक बच्चे के लिए उपलब्ध व पहुँचकारी बनाएँ तथा निःशुल्क षिक्षा प्रस्तुत करने पर आवश्यकता पड़ने पर आर्थिक मदद देने जैसे उपयुक्त कदम उठाएँ;
 - ग) प्रत्येक उचित विधि से क्षमता अनुसार प्रत्येक के लिए उच्च षिक्षा तक पहुँच बनाएँ;
 - घ) सभी बच्चों तक शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन व सूचना उपलब्ध कराएँ;
 - ङ) विद्यालयों में निरंतर उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए तथा विद्यालय छोड़ने की दर में कमी हेतु उपाय करें।

धारा 29 कहती है:

- 1) राज्य पक्ष सहमत हो कि बच्चों की शिक्षा निर्देशित हो:
 - क) बच्चे के व्यक्तित्व, योग्यताओं व मानसिक तथा शारीरिक क्षमताओं से उनकी अधिकतम सीमा तक विकास के लिए;
 - ख) मानवाधिकारों एवं मूलभूत स्वतंत्रता के प्रति सम्मान के विकास को तथा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में सम्मिलित सिद्धांतों के प्रति;
 - ग) बच्चे के माता-पिता, उसकी अपनी सांस्कृतिक पहचान, भाषा एवं मूल्य, बच्चा जिस देश में रहता है, उसके राष्ट्रीय मूल्यों, जिस देश में उसका जन्म हुआ है तथा उसकी अपनी सभ्यता से भिन्न सभ्यता के प्रति सम्मान के विकास के लिए;
 - घ) एक स्वतंत्र समाज में बच्चे को जिम्मेदार जीवन के लिए तैयार करने तथा शांति, सहनशीलता, लिंग समानता, सभी लोगों से मित्रता, नृजातीय, राष्ट्रीय तथा धार्मिक समूहों व स्वदेशी मूल के लोगों के प्रति समझ के विकास के प्रति;
 - ङ) प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति आदर के विकास के लिए;
 - च) वर्तमान धारा तथा धारा 28 के किसी भाग को इस अर्थ में न लिया जाए, जिससे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की शिक्षण संरक्षण व कार्यान्वयन, राज्य द्वारा निर्धारित च्यूनतम मानदंडों को पूरा करने के लिए इन संस्थाओं में शिक्षा प्रदान करने हेतु आवश्यकताओं में हस्तक्षेप हो।

संधिपत्र की धारा 43, बाल अधिकारों पर समिति की स्थापना करती है। यह समिति एक दस सदस्यीय निगरानी संस्था है जो संधिपत्र के सदस्य देशों में इसके प्रावधानों के अनुपालन में हुई प्रगति की जाँच करती है।

संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार संधिपत्र के महत्वपूर्ण बिन्दु

बच्चे को अधिकार है:

- अविभेदीकरण का।
- विशेष संरक्षण तथा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास हेतु अवसरों व सुविधाओं का।
- एक नाम व राष्ट्रीयता का।
- सामाजिक सुरक्षा, उचित पोषण, निवास, मनोरंजन व स्वास्थ्य सेवाओं का।
- विशेष नियोग्य बच्चों को विशेष उपचार, देखभाल व शिक्षा का।
- माता-पिता से प्रेम, स्नेह, नैतिक व भौतिक सुरक्षा का।
- कम से कम प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का।
- यदि आपदा आए तो प्रथम बचाव का।
- सभी प्रकार की उपेक्षा, क्रूरता, शोषण (जिसमें रोजगार से संबंधित भी सम्मिलित हैं) से संरक्षण का।
- प्रजातीय, धार्मिक या भेदभाव के अन्य रूपों से संरक्षण का।

सभी बच्चों को अधिकार है।



बोध प्रष्ण

टिप्पणी: क) अपने उत्तर दिए गए स्थान में दीजिए।

ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

1) संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधिपत्र, 1989 में कौन से प्रमुख भाग हैं?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

1.4 भारत में बाल अधिकार

भारतीय संधिपत्र ने अपने नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिए हैं जिनमें बच्चों के संरक्षण, विकास एवं भलाई की प्रचुर संभावनाएँ हैं। यह “मूल अधिकारों” तथा “राज्य नीति के निर्देशक तत्वों” संबंधी भाग 3 व 4 में हैं। मूलतः छः मूल अधिकार थे: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बाद में सन् 2002 में इस सूची में सातवाँ मूल अधिकार जोड़ा गया अर्थात् षिक्षा का अधिकार (86वें संविधान संघोधन द्वारा)। बड़ी संख्या में ऐसे कानून हैं जो संविधान तथा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधिपत्र में बाल अधिकारों व उनका अनुपालन प्रत्याभूति करते हैं। सन् 1979 में भारत सरकार ने “बच्चों की राष्ट्रीय नीति” स्वीकार की जो बच्चों को “सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिसम्पत्ति” घोषित करती है। इस नीति ने व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रम, माताओं हेतु पूरक पोषण षिक्षा तथा 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य षिक्षा हेतु प्रावधान प्रस्तुत किए। भारतीय नीति एक विशेष महत्वपूर्ण गुण यह है कि सभी को सामाजिक व आर्थिक न्याय की दृष्टि से, संविधान ने समाज के कमजोर वर्गों की रुचियों की सुरक्षा के लिए सकारात्मक विभेदीकरण तथा वंचित वर्गों जैसे लड़कियाँ, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ तथा अषक्त बच्चों के लिए आरक्षण नीति के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। बच्चों के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक अधिकार सुनिष्चित करने के लिए समय-समय पर बच्चों की भलाई व विकास के लिए बहुत-सी योजनाएँ लागू की गई तथा बदलाव किए गए। स्वास्थ्य, पोषण व षिक्षा, तीन प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें विशेष तौर पर प्रतिकूल व वंचित वर्ग के बच्चों के विकास को सुनिष्चित पर विशेष ध्यान दिया गया। एक षिक्षक के रूप में आप प्राथमिक षिक्षा में पोषण सहायता की राष्ट्रीय योजना के एक भाग के रूप में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से अवघ्य ही परिचित होंगे।

बच्चों का एक महत्वपूर्ण अधिकार षिक्षा का अधिकार है। यह हम सबको स्वीकार करना होगा कि षिक्षा के अधिकार को पूरा किए बिना बच्चों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। षिक्षा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1948 में स्वीकार किए गए मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (Universal Declaration of Human Rights - UDHR) में एक मानवाधिकार के रूप में पहचान मिली। 1989 में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधिपत्र ने षिक्षा के अधिकार के सम्प्रत्यय को मूलत पूर्व में चर्चा किए गए चार मूल सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में और अधिक मजबूत व व्यापक बनाया गया है। षिक्षा भावी पीढ़ी की चेतना व मूल्यों को निर्मित व संरचित करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इस कार्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित विद्यालय ज्यादा व्यापक संस्थाएँ हैं। मानवाधिकार का व्यापक घोषणापत्र कहता है

कि "षिक्षा मानव व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास तथा मानवाधिकारों एवं मूलभूत स्वतंत्रता के प्रति सम्मान को मजबूत करने हेतु निर्देशित होनी चाहिए।"

आइए, हम संक्षेप में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, 1948 की धारा 26 को देखें, जो बताती है:

- 1) प्रत्येक को षिक्षा का अधिकार है। षिक्षा कम से कम प्रारंभिक तथा मूलभूत स्तरों पर निःशुल्क होनी चाहिए। प्रारंभिक षिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। तकनीकी व व्यावसायिक षिक्षा सामान्यतः सुलभ हो तथा उच्च षिक्षा तक श्रेष्ठता के आधार पर सबकी समान पहुँच हो।
- 2) षिक्षा मानव व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास तथा मानवाधिकारों एवं मूलभूत स्वतंत्रता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने हेतु निर्देशित हो। यह सभी देशों, प्रजाति या धार्मिक समूहों में समझ, सहनशीलता एवं मित्रता को बढ़ावा दें तथा शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को आगे बढ़ाए।
- 3) माता—पिता को अपने बच्चों को प्रदान की जाने वाली षिक्षा के चयन का पूर्ण अधिकार है।

1.5 षिक्षा का अधिकार: 86वाँ भारतीय संविधान संषोधन, 2002

भारत में षिक्षा के अधिकार के विकास ने एक लम्बी यात्रा की। जब संविधान लागू हुआ, षिक्षा को संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया, जहाँ धारा 41 ने कार्य, षिक्षा तथा विशेष परिस्थितियों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार दिया। धारा 45 में 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा का प्रावधान है। धारा 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों की शैक्षिक एवं आर्थिक रुचियों को प्रोत्साहन देती है। षिक्षा एक द्विदिषात्मक प्रत्यय है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार षिक्षा प्रदान करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है तथा भारतीय संविधान के भाग चार में यह एक मूल अधिकार के रूप में प्रत्याभूतित है।

86वाँ संविधान संषोधन अधिनियम दो समितियों – षिक्षा आयोग व सेक्रिया समिति की सिफारिशों का परिणाम है। 1986 की षिक्षा नीति के पुनरावलोकन पर 1990 में राममूर्ति समिति की रिपोर्ट में षिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में पहचान मिली। षिक्षा का अधिकार लागू करने के जन आकांक्षाओं के परिणामस्वरूप बहुत सी सरकारों ने इसे मूल अधिकार बनाने हेतु संवैधानिक संषोधन लाने की दिशा में कार्य किया, जिसने दिसम्बर 2002 में 86वें संविधान संषोधन का रूप लिया जो संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित करता है:

- 1) संविधान में अनुच्छेद 21 के बाद नया अनुच्छेद 21(ए) की प्रविष्टि, जो कहता है: **षिक्षा का अधिकार: अनुच्छेद 21(ए)**, "राज्य, राज्य के रूप में विधि द्वारा स्थापित विधि से छ: से चौदह वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा प्रदान करेगा।"
- 2) संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 45 को पुनःपरिभाषित किया गया है, जो कहता है: "राज्य सभी बच्चों के बचपन की देखभाल व षिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा जब तक कि वे छ: वर्ष तक की आयु पूरी न कर लें।"

- 3) संविधान के अनुच्छेद 51(ए) में एक नए मूल कर्तव्य को जोड़ गया है अर्थात् अनुच्छेद 51(के): माता—पिता या अभिभावक, चाहे जो हों, बच्चे को छः से चौदह वर्ष तक की आयु के बीच प्रत्येक परिस्थिति में शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे।"

आपके लिए यह ध्यान देना जरूरी है कि नीति निर्देशक तत्वों के मूल अनुच्छेद 45 का प्रयोग चौदह वर्ष तक की आयु के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के संदर्भ में किया जाता था जबकि 86वें संविधान संषोधन के बाद अनुच्छेद 21(ए) केवल छः से चौदह वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा तक सीमित है और छः वर्ष तक की आयु के बच्चों को अधिकार की सीमा से अलग कर अनुच्छेद 45 को पुनः परिभाषित करके उसमें रखा गया है। इस संविधान संषोधन ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम का आधार तैयार किया जो वास्तव में 2009 में लाया गया तथा देष में एक अप्रैल 2010 से लागू हुआ।

हम यहाँ रुकते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि शिक्षा को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से निकाल कर एक मूल अधिकार बनाने से क्या अंतर उत्पन्न हुआ? इससे एक बड़ा प्रभाव पड़ा क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व केवल राज्य को सलाहकारी हैं यदि कोई राज्य इन्हें नहीं मानता है तो बच्चा राज्य को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता, परंतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने तथा इसे मूल अधिकारों की सूची में स्थान देने से, यदि किसी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाता है तो वह अपने अधिकार के लिए न्यायालय में जा सकता है। अब ढाबे पर काम करने वाला कोई छोटू घरेलू काम करने के लिए गीता या कोमल, या सड़क पर भिक्षा माँगने वाला कोई भी बच्चा अपने लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की माँग कर सकता है यदि वह छः से चौदह वर्ष तक की आयु के बीच है।

सर्व शिक्षा अभियान, देष में छः से चौदह वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक स्तर पर लिंग भेद या सामाजिक अंतर के बिना निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सुनिष्ठित करने की भारत सरकार की एक सर्वाधिक महत्वांकाक्षी योजना है। योजना 2001–02 में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के उद्देश्य को सन् 2010 तक पूरा करने के साथ प्रारंभ हुई और सन् 2007 तक लिंगीय व सामाजिक समूहों के अन्तर को दूर करने का उद्देश्य था परंतु बाद में विभिन्न अवरोधों के कारण इसे सन् 2015 तक बढ़ा दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान को अब शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में पुनरावलोकित किया गया है। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे कानून हैं जो बाल—विवाह, बाल—श्रम, घरेलू कार्यों में बच्चों को लगाना, बाल—तस्करी, बच्चों का यौन शोषण एवं महिला व बाल भ्रूण हत्या का विरोध करते हैं। ये कानून बच्चों के अधिकार को समर्पित हैं और उन्हें किसी भी प्रकार के शोषण से बचाते हैं। हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम व बाल अधिकारों के संरक्षण की कार्य प्रणाली के बारे में आगे की इकाइयों में पढ़ेंगे।

बोध प्रब्लेम

टिप्पणी: क) अपने उत्तर दिए गए स्थान में दीजिए।

ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

- 3) 86वें संविधान संषोधन को किसने प्रोत्साहित किया?
-
-

1.6 सारांष

मानवाधिकार संरक्षण में बच्चों को एक महत्वपूर्ण स्थान है। बाल अधिकारों पर संधिपत्र में संयुक्त राष्ट्र कहता है कि बच्चों को विशेष सुरक्षा व देखभाल की आवश्यकता होती है, उन्हें जन्म से पूर्व से ही उचित कानूनी सुरक्षा मिलती है। कठिन नियोजन, भलाई के कार्यक्रम, कानून व प्रेषासनिक उपायों के बावजूद पूरे विष्व में एक बड़ी संख्या में बच्चे कठिनाई में हैं।

1.7 सत्रांत प्रष्ट

- 1) बच्चों के अधिकारों की सूची बनाइए।
- 2) क्या सभी बच्चे अधिकारों का आनंद लेते हैं? आपने उत्तरों को स्पष्ट कीजिए।

1.8 बोध प्रष्टों के उत्तर

- 1) बाल अधिकार के चार प्रमुख भाग हैं: जीवन का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार व सहभागिता का अधिकार।
- 2) बाल अधिकारों पर संधिपत्र के चार प्रमुख सिद्धांत हैं: अतिभेदीकरण, बच्चों के श्रेष्ठतम हित, सर्वोत्तम विकास एवं बच्चों की आवाज।
- 3) 86वाँ संविधान संविधान दो समितियों की सिफारिषों का परिणाम था: शिक्षा आयोग व सेकिया समिति। 1986 की शिक्षा नीति के पुनरावलोकन पर 1990 में राममूर्ति समिति की रिपोर्ट में शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में पहचान मिली। शिक्षा का अधिकार लागू करने के जन आकांक्षाओं के परिणामस्वरूप बहुत-सी सरकारों ने इसे मूल अधिकार बनाने हेतु संवैधानिक संघोधन लाने की दिशा में कार्य किया, जिसने दिसम्बर 2002 में 86वाँ संविधान संघोधन का रूप लिया।

1.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

भाकरी सविता (2006): भारत में बच्चे व उनके अधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली।

पाण्डेय एस. (2004): शांति शिक्षा: शिक्षक-प्रशिक्षकों हेतु स्व-अध्ययन सामग्री, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली।

[theunconventionontherightsofchildren.htm; http://www.un.org/en/documents/udhr/index/html](http://www.un.org/en/documents/udhr/index/html)

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, भारत सरकार, नई दिल्ली।

इकाई 3 बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत आदर्श नियम

इकाई की रूपरेखा

- 3.1 प्रस्तावना
- 3.2 उद्देश्य
- 3.3 बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत आदर्श नियम
- 3.4 प्रारम्भिक
 - 3.4.1 लघु शीर्षक, विस्तार एवं आरंभ
 - 3.4.2 परिभाषाएँ
- 3.5 बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार
 - 3.5.1 प्रथम प्रावधान की धारा-4 के प्रयोजनों के लिए विशेष प्रषिक्षण
- 3.6 राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य
 - 3.6.1 धारा 6 के प्रयोजनों के लिए क्षेत्र अथवा सीमाएँ
 - 3.6.2 धारा 8 एवं 9 के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य
 - 3.6.3 धारा 9 के उपखंड (a) के प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकार द्वारा बच्चों से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव
- 3.7 विद्यालयों एवं शिक्षकों का दायित्व
 - 3.7.1 धारा 12 के उपखंड (a) के प्रयोजनों के लिए कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों का नामांकन
 - 3.7.2 धारा 14 के प्रयोजनों के लिए उम्र के प्रमाण के रूप में अभिलेख
 - 3.7.3 धारा 15 के प्रयोजनों के लिए नामांकन की विस्तारित अवधि
 - 3.7.4 धारा 18 के प्रयोजनों के लिए विद्यालयों को मान्यता
 - 3.7.5 धारा 18 (3) एवं 12(3) के प्रयोजनों के लिए मान्यता की वापसी
- 3.8 विद्यालय प्रबंधन समिति
 - 3.8.1 धारा 21 के प्रयोजनों के लिए विद्यालय समिति का गठन एवं उसके कार्य
 - 3.8.2 धारा 22 के प्रयोजनों के लिए विद्यालय के विकास के लिए योजना तैयार करना
- 3.9 शिक्षक
 - 3.9.1 धारा 23(1) के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम योग्यता
 - 3.9.2 धारा 23(2) के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम योग्यता
 - 3.9.3 धारा 23(2) के प्रावधानों के अंतर्गत न्यूनतम योग्यता हासिल करना
 - 3.9.4 धारा 23 के प्रयोजनों के लिए शिक्षकों का वेतन भत्त एवं सेवा शर्ते
 - 3.9.5 धारा 24(1) के उपखंड (a) के प्रयोजन के लिए शिक्षकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्य
 - 3.9.6 धारा 24(3) के प्रयोजनों के लिए शिक्षकों का शिकायत निवारण तंत्र
 - 3.9.7 धारा 25 के प्रयोजनों के लिए छात्र-शिक्षकों का अनुपात बनाए रखना
- 3.10 पाठ्यक्रम एवं प्राथमिक शिक्षा का पूर्ण होना

- 3.10.1 धारा 29 के प्रयोजनों के लिए शैक्षिक-प्राधिकार
- 3.10.2 धारा 30 के प्रयोजन के लिए प्रमाण-पत्र का वितरण
- 3.11 बाल अधिकार का संरक्षण
- 3.11.1 धारा 31 के प्रयोजनों के लिए राज्य आयोग द्वारा बाल अधिकार संरक्षण के लिए किए गए प्रयास
- 3.11.2 राज्य आयोग के समक्ष बाल अधिकार संरक्षण के संबंध में विकायतें प्रस्तुत करने की विधि
- 3.11.3 धारा 34 के प्रयोजनों के लिए राज्य सलाहकार परिषद का गठन एवं कार्य
- 3.12 सारांष
- 3.13 सत्रांत प्रब्लेम
- 3.14 बोध प्रब्लेमों के उत्तर
- 3.15 कुछ उपयोगी पुस्तकें

**बच्चों को निःशुल्क एवं
अनिवार्य शिक्षा का अधिकार
अधिनियम, 2009 के
अंतर्गत आदर्श नियम**

3.1 प्रस्तावना

हम सभी इस बात से पूर्णतः परिचित हैं कि देश के विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके भावी नागरिक शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ एवं सुषिक्षित हों। विकायक बच्चे का एक मूलभूत अधिकार है। पिछली इकाई में हमने अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर किए गए विभिन्न प्रयासों की चर्चा की है। भारतीय सरकार ने सन् 2009 में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य विकाय का अधिकार का अधिनियम पारित कर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एक विकायक के रूप में आपके लिए यह नितांत आवश्यक है कि आप इस अधिनियम एवं इसकी विभिन्न धाराओं एवं उपधाराओं को भली भाँति समझे जिससे इसको प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। इस इकाई में हम इस अधिनियम की विस्तृत चर्चा करेंगे।

3.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप:

- “अनिवार्य विकाय अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत दिए गए विभिन्न प्रावधानों को समझ सकेंगे।
- इस अधिकार अधिनियम के लिए बिहार राज्य द्वारा बनाए गए दस्तावेज की चर्चा कर सकेंगे।
- अपने विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति की समीक्षा कर सकेंगे।
- इस अधिकार के अंतर्गत विकायकों एवं स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्यों की चर्चा कर सकेंगे।
- अपने विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने में एक प्रभावशाली/सषक्त विद्यालयी प्रबंधन समिति का चयन कर सकने के प्रयास करेंगे।

3.3 बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य विकाय का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत आदर्श नियम

प्रस्तुत अधिनियम का मूल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 है। लेकिन विशेष रूप से संवैधानिक संषोधन जिसके द्वारा अनुच्छेद 21 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, के तहत विकाय

को एक मूल अधिकार बनाना इसका आधार है। इस संघोधन ने इसके कार्यान्वयन की विधि का वर्णन करने के लिए विधि निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया जिसने शिक्षा विधेयक (Education Bill) के पृथक प्रारूप को तैयार करना अनिवार्य बना दिया। विधेयक का प्रथम प्रारूप वर्ष 2005 में तैयार हुआ जिसके अनुसार निजी विद्यालयों में अष्टकत बच्चों के लिए 25 प्रतिष्ठत आरक्षण प्रदान करने के अधिदेषात्मक प्रावधान किया गया। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (Central Advisory Board of Education - CABE) जिसने विधेयक का प्रारूप तैयार किया, ने पूर्वापेक्षित इस प्रावधान को लोकतांत्रिक एवं समतावादी समाज की रचना के लिए सार्थक रूप से ग्रहण किया।

यह विधेयक मंत्रिमंडल के द्वारा 2 जुलाई 2009 को स्वीकृत हुआ। राज्य सभा ने विधेयक को 20 जुलाई 2009 को और लोक सभा ने 4 अगस्त 2009 को पारित किया। इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और यह बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के कानून के रूप में 3 सितम्बर 2009 को अधिसूचित हुआ। 1 अप्रैल 2010 को यह कानून जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ। भारत के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री के भाषण के द्वारा एक कानून को लागू किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि “हम लोग सामाजिक कोटि और लिंग का ध्यान किए बिना सभी बच्चों तक शिक्षा के आगमन को सुनिष्ठित रखने के लिए वचनबद्ध हैं, शिक्षा जो उन्हें कौशल, ज्ञान, मूल्य और अभिवृत्ति या व्यवहार अर्जित करने में समर्थ बनाता है और जो भारत का उत्तरदायी और क्रियाषील नागरिक बनाने के लिए आवश्यक है।”

इस दस्तावेज को विभिन्न खंडों में विभाजित किया गया है प्रत्येक खंड को उसके शीर्षक के अंतर्गत यहाँ पर दिया गया है।

3.4 प्रारम्भिक

3.4.1 लघु शीर्षक, विस्तार एवं आरंभ

- 1) इन नियमों को बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियम 2009 कहा जा सकता है।
- 2) यह नियम 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी होगा।

3.4.2 परिभाषाएँ

2.(1) इन नियमों के संदर्भ में जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो—

- a) ‘अधिनियम’ का अर्थ बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम – 2009 है।
- b) ‘आँगनबाड़ी’ का अर्थ एक आँगनबाड़ी केन्द्र से है जिसकी स्थापना सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत की गई है।
- c) ‘नियत तिथि’ से तात्पर्य उस तिथि से है, जिस तिथि को अधिनियम के लागू होने की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है।
- d) ‘अध्याय’ खण्ड एवं अनुसूची से यहाँ तात्पर्य अधिनियम के अध्याय, खण्ड एवं अनुसूची से ही है।
- e) ‘बच्चे’ का अर्थ 6 से 14 वर्ष की आयु का कोई भी बच्चा है।

- f) 'समेकित छात्र अभिलेख' का अर्थ उस अभिलेख से है, जिसे बच्चों की सतत प्रगति एवं व्यापक मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया गया है।
- g) 'विद्यालय का मानचित्रण' का अर्थ है किसी विद्यालय के लिए स्थल का इस प्रकार चयन करना ताकि भौगोलिक दूरी एवं अन्य सामाजिक बाधाओं को दूर किया जा सके।
- 2) इन नियमों के अंतर्गत संदर्भों को निर्धारित प्रपत्रों के रूप में देखा जाएगा, जिसे परिशिष्ट-I में रखा गया है।
- 3) अन्य सभी पद एवं व्याख्याएँ जिनका यहाँ उपयोग किया गया है यद्यपि परिभाषित नहीं हैं, तथापि उनका अर्थ वहीं होगा जिसकी परिभाषा अधिनियम के अंतर्गत की गई है।

बच्चों को निःशुल्क एवं
अनिवार्य शिक्षा का अधिकार
अधिनियम, 2009 के
अंतर्गत आदर्श नियम

3.5 बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

3.5.1 प्रथम प्रावधान की धारा-4 के प्रयोजनों के लिए विशेष प्रषिक्षण

- 3.(1) विद्यालय प्रबंध समिति स्थानीय प्राधिकारी उन बच्चों को चिन्हित करेगा जिन्हें विशेष प्रकार के प्रषिक्षण की आवश्यकता है और प्रषिक्षण को इस रूप में आयोजित करेगा।
- a) विशेष प्रषिक्षण विशिष्ट ढाँचा, उप्र, उपयुक्त षिक्षण सामग्री पर आधारित होगी, जिसकी स्वीकृति शैक्षिक प्राधिकार के खण्ड 29 (1) में दी गई है।
 - b) इन सामग्रियों को विद्यालय परिसर में संचालित होने वाली कक्षाओं में अथवा सुरक्षित आवासीय सुविधाओं वाली कक्षाओं में वितरित किया जाएगा।
 - c) इन सामग्रियों का वितरण विद्यालयों में कार्यरत षिक्षकों अथवा इसी कार्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त षिक्षकों द्वारा कराया जाएगा।
 - d) प्रषिक्षण की अवधि न्यूनतम तीन महीनों के लिए होगी, किन्तु सीखने की प्रगति के मूल्यांकन के आधार पर इस अवधि में विस्तार किया जा सकता है लेकिन यह विस्तार किसी भी स्थिति में दो वर्षों से अधिक नहीं होगा।

3.6 राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य

3.6.1 धारा 6 के प्रयोजनों के लिए क्षेत्र अथवा सीमाएँ

4. (1) राज्य सरकार द्वारा जिस विद्यालय की स्थापना की जानी है उसका क्षेत्र या पड़ोस की सीमाएँ इस प्रकार होगी:
- a) वर्ग I से V तक के बच्चों के लिए विद्यालय की स्थापना पड़ोसी गाँव से पैदल 1 km की दूरी पर की जाएगी।
 - b) वर्ग VI से VIII तक के बच्चों के लिए विद्यालय की स्थापना पड़ोसी गाँव से पैदल 3 km की दूरी पर की जाएगी।
- 2) जहाँ भी आवश्यक होगा राज्य सरकार के द्वारा मौजूद विद्यालयों को समुन्नत किया जाएगा। इन विद्यालयों में वर्ग I से V तक को वर्ग VI से VIII तक के साथ संलग्न किया जाएगा। वैसे विद्यालयों में जहाँ वर्ग VI से कक्षा प्रारंभ होती है, राज्य सरकार आवश्यकतानुसार उनमें वर्ग I से V तक को जोड़ने पर विचार कर सकती है।

- 3) सामान्य रूप से ऐसे क्षेत्रों के लिए जहाँ सड़क नहीं है, दुर्गम है, बाढ़, भूस्खलन आदि से प्रभावित है, राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकार बच्चों को इन खतरों से बचाने के लिए नियम (1) के अंतर्गत उपनिर्दिष्ट सीमा के भीतर विद्यालय खोलने पर विचार कर सकती है।
- 4) छोटे-छोटे गाँवों के बच्चों के लिए जिन्हें राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकार द्वारा चिन्हित किया गया है, तथा जहाँ उपनियम (1) के अंतर्गत पड़ोसी गाँव की सीमा के भीतर कोई विद्यालय नहीं है, राज्य सरकार ऐसे बच्चों के लिए मुफ्त परिवहन, आवासीय एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करेगा, ताकि इन बच्चों को भी प्राथमिक षिक्षा दी जा सके और इनके लिए यदि आवश्यक हो तो उपनियम (1) में निर्दिष्ट सीमाओं में छूट भी दी जा सकती है।
- 5) 3 जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकार पड़ोस में एक से अधिक विद्यालय खोलने पर भी विचार कर सकती है जो 6 – 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की संख्या पर निर्भर हैं।
- 6) स्थानीय प्राधिकारी पड़ोसी गाँव के विद्यालय/विद्यालयों की पहचान करेगा, जहाँ इन बच्चों का नामांकन होता है और अपने क्षेत्राधिकार भीतर ऐसी सूचनाओं को सार्वजनिक करेगा।
- 7) विकलांगता के कारण जो बच्चे विद्यालय नहीं पहुँच पाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए राज्य सरकार स्थानीय अधिकार उपयुक्त एवं सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करेगा ताकि वे विद्यालय पहुँच सकें और प्रारंभिक षिक्षा प्राप्त कर सकें।
- 8) राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी को यह सुनिष्चित करना होगा कि सामाजिक या सांस्कृतिक कारक विद्यालय तक पहुँचने में बाधक नहीं हैं।

3.6.2 धारा 8 एवं 9 के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य

- 5) (i) कोई बच्चा जो राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा संचालित विद्यालयों में जाता है, जैसा कि धारा 2 के उपखंड (i) के अनुभाग (एन) में वर्णित है अथवा कोई बच्चा जो धारा 2 के उपखंड (iii) एवं (iv) के अनुभाग (एन) में वर्णित विद्यालयों में जाता है, तो वे सभी बच्चे धारा 12 की उपधारा (1) के उपखंड (a) के अनुसार निःशुल्क पाठ्यपुस्तक लेखन सामग्री एवं वर्दी प्राप्त करने के हकदार होंगे। विकलांग बच्चों को भी निःशुल्क विशेष षिक्षण सामग्री एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

व्याख्या: धारा 12 की उपधारा (i) के उपखंड (a) तथा धारा 12 की उपधारा

- 1) के उपखंड (c) के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों में नामांकित बच्चों को भी उपरोक्त षिक्षण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराने की जबाबदेही हैं जो संबंधित विद्यालयों की होगी, जैसा कि धारा 2 की उपधारा (ii) के अनुभाग (एन) तथा धारा 2 के उपखंड (iii) एवं (iv) में क्रमशः वर्णित है।
- 2) राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकार पड़ोसी गाँवों में विद्यालय स्थापना हेतु रथल चयन एवं मानचित्र बनाने का कार्य करेगा और वैसे सभी बच्चों की पहचान करेगा जो

दूर—दराज क्षेत्रों में निवास करते हैं। जैसा कि धारा 4 में वर्णित है, इन बच्चों के साथ वे बच्चे भी शामिल हैं जो विकलांग हैं, तथा कमज़ोर एवं वंचित वर्ग समूह से आते हैं। यह काम नियत तिथि के एक वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा और इसी तरह हर वर्ष इसे करते रहना होगा।

- 3) राज्य सरकार को यह सुनिष्ठित कराना होगा कि विद्यालय में किसी भी बच्चे के साथ जाति, धर्म, लिंग या किसी अन्य कारण से भेदभाव नहीं किया जाएगा।
- 4) धारा 8 के उपखंड (a) तथा धारा 9 के उपखंड (a) के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकार को यह सुनिष्ठित कराना होगा कि विद्यालय कक्षा में, अथवा वंचित समूह के बच्चों के साथ मध्याहन भोजन के दौरान, कक्षा में, खेल के मैदान में, पीने के पानी के उपयोग में, शौचालय की सुविधा का उपयोग करने में अथवा शौचालय या वर्ग कक्षा की सफाई करने के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

3.6.3 धारा 9 के उपखंड (a) के प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकार द्वारा बच्चों से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव

अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत

- 6) 1) स्थानीय प्राधिकार घरेलू सर्वेक्षणों के आधार पर सभी बच्चों से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव करता रहेगा जब तक कि वे बच्चे 14 वर्ष के नहीं हो जाते हैं।
- 2) उपनियम (i) के अनुसार प्रत्येक वर्ष अभिलेखों का नवीकरण किया जाएगा।
- 3) उपनियम (i) के अनुसार अभिलेखों का रखरखाव पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक क्षेत्र में किया जाएगा एवं इनका उपयोग धारा 9 के खंड (d) के लिए होगा।
- 4) उपनियम (i) के अनुसार अभिलेखों में प्रत्येक बच्चे के बारे में निम्नांकित बातों को शामिल किया जाएगा:
 - a) नाम, लिंग, जन्म तिथि (जन्म प्रमाणपत्र की संख्या), जन्म स्थान।
 - b) माता—पिता / अभिभावक का नाम, पता एवं व्यवसाय।
 - c) पूर्व प्राथमिक विद्यालय, ओँगनबाड़ी केन्द्र जहाँ बच्चे 6 वर्ष की उम्र तक जाते हैं।
 - d) प्राथमिक विद्यालय जहाँ बच्चे का नामांकन किया जाता है।
 - e) बच्चों का वर्तमान पता।
- f) वह कक्षा जिसमें बच्चे सम्प्रति पढ़ रहे हैं। (6 – 14 वर्ष तक की आयु के बीच) और यदि स्थानीय प्राधिकार के क्षेत्र अंतर्गत विद्यालयों में उनकी पढ़ाई छूट गई है तो उसका कारण क्या है?
- g) क्या अधिनियम की धारा 2 के उपखंड (e) के संदर्भ में वे बच्चे कमज़ोर वर्ग से आते हैं?
- h) क्या अधिनियम की धारा 2 के उपखंड (a) के संदर्भ में वे बच्चे वंचित समूह से आते हैं?

- i) उन बच्चों का विवरण जिन्हें विशेष सुविधा मुहैया कराने की आवश्यकता है।
इस विवरण में इन बातों को शामिल किया जाएगा – विस्थापन के कारण आवासीय सुविधा, विरल आबादी, उपयुक्त उम्र में विद्यालय में प्रवेष, विकलांगता आदि।
- j) स्थानीय अधिकारी यह सुनिष्ठित करेगा कि उसके क्षेत्रांतर्गत विद्यालयों में नामांकित सभी बच्चों का नाम विद्यालय में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित होगा।

बोध प्रष्ट

टिप्पणी: क) अपने उत्तर दिए गए स्थान में दीजिए।

ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

- 1) निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत धारा 8 व धारा 9 के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकार के क्या कर्तव्य हैं?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

- 2) निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत बच्चों से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव कैसे किया जाता है?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

3.7 विद्यालयों एवं शिक्षकों का दायित्व

3.7.1 धारा 12 के उपखंड (a) के प्रयोजनों के लिए कमज़ोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों का नामांकन

- 7.1) धारा 2 के उपखंड (iii) एवं (iv) के अनुभाग (एन) के आलोक में विद्यालय इस बातों को सुनिष्ठित करेगा कि धारा 12 (i) के उपखंड (i) के प्रावधानों के अनुरूप सभी बच्चों के लिए समान रूप से वर्गों का संचालन होगा और किसी के लिए भी वर्ग स्थान एवं समय में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
- 2) धारा 2 के उपखंड (iii) एवं (iv) के अनुभाग (एन) के आलोक में विद्यालय यह सुनिष्ठित करेगा कि धारा 12 (i) के उपखंड (i) के प्रावधानों के अनुरूप विद्यालय में नामांकित बच्चों के साथ किसी भी रूप में यथा पाठ्यपुस्तक, पुस्तकालय, वर्दी, आई.सी.टी., बाह्य गतिविधियों, खेलकूद आदि में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

- 3) धारा 12 (i) के उपखंड (a) के आलोक में क्षेत्र या पड़ोस की सीमा के भीतर नामांकन के लिए नियम 4 (i) लागू होगा।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की पूर्वानुमति से नामांकन की प्रक्रिया में वांछित प्रतिष्ठत को पूरा करने हेतु विद्यालय बच्चों के सीटों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। राज्य सरकार द्वारा 12 (i) प्रयोजनों के लिए प्रति बच्चे खर्च होने वाली राष्ट्रीय की प्रतिपूर्ति / क्षतिपूर्ति की जाएगी।

- 8) 1) प्राथमिक शिक्षा के लिए किए गए कुल वार्षिक आवर्ती खर्च चाहे वे निजी स्रोत से या केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान से, अथवा किसी अन्य प्राधिकार से उपलब्ध कराया गया हो ऐसे स्थापित सभी विद्यालयों के लिए चाहे वे राज्य सरकार द्वारा प्रेषित होते हैं अथवा स्थानीय प्राधिकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। इनका निर्धारण उन विद्यालयों में नामांकित बच्चों की कुल संख्या से विभाजित करने पर जो राष्ट्रीय निकलती है वही राष्ट्रीय राज्य सरकार द्वारा प्रति बच्चे पर खर्च की जाने वाली राष्ट्रीय मानी जाएगी।

व्याख्या:

- 1) राज्य सरकार द्वारा सभी बच्चों पर खर्च की जाने वाली राष्ट्रीय के निर्धारण के लिए धारा 2 के के उपखंड (ii) के अनुभाग (एन) में वर्णित विद्यालयों के बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा।
- 2) धारा 2 के उपखंड (iii) एवं (iv) के अनुभाग (एन) में वर्णित प्रावधानों के आलोक में सभी विद्यालय एक अलग बैंक खाता रखेंगे ताकि धारा 12 की उपधारा (2) के आलोक प्रतिपूर्ति / क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त राष्ट्रीय का समायोजन किया जा सके।

3.7.2 धारा 14 के प्रयोजनों के लिए उम्र के प्रमाण के रूप में अभिलेख

- 9) जहाँ अधिनियम 1886 के आलोक में जन्म मृत्यु एवं विवाह प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं हैं, वैसी परिस्थिति में विद्यालयों में बच्चों के नामांकन हेतु निम्नांकित में से किसी को भी उम्र संबंधी प्रमाण माना जाएगा:
- अस्पताल / सहायक नर्स एवं मिडवाइफ का रजिस्टर
 - आँगनबाड़ी का रजिस्टर
 - माता—पिता या अभिभावक द्वारा एक शपथ पत्र के माध्यम से घोषणा

3.7.3 धारा 15 के प्रयोजनों के लिए नामांकन की विस्तारित अवधि

- 10) i) नामांकन हेतु विस्तारित अवधि विद्यालय के शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने की तिथि से 6 माह तक के लिए होगी।
- ii) जिन विद्यालयों में विस्तारित अवधि के बीत जाने के बाद भी बच्चों का नामांकन किया जाता है, उन विद्यालयों के प्रधानाचार्य द्वारा बच्चों को अतिरिक्त एवं विशेष प्रषिक्षण देकर पाठ्यक्रम को पूरा कराया जा सकता है।

3.7.4 धारा 18 के प्रयोजनों के लिए विद्यालयों को मान्यता

- 1) इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व ऐसे सभी विद्यालय चाहे वे स्वपोषित हों अथवा जिन्हें राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकार द्वारा स्थापित किया गया हो, उन्हें इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से तीन माह के भीतर प्रपत्र संख्या-1 में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष अनुसूची में वर्णित मानकों, मापदंडों के अनुपालन के संबंध में निम्नांकित शर्तों के साथ एक स्वघोषणा पत्र समर्पित करना होगा।

- a) विद्यालय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी है या तत्कालीन कानून के अंतर्गत गठित एक सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारा संचालित है।
- b) विद्यालय किसी खास व्यक्ति, राज्य सरकार या समूह के लाभ के लिए संचालित नहीं किया जा रहा है।
- c) विद्यालय भवन एवं अन्य ढाँचागत परिस्थितियों का उपयोग केवल बच्चों के शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए ही किया जाता है।
- d) विद्यालय संविधान में अंतर्निहित भावनाओं एवं मूल्यों के अनुरूप संचालित होता है।
- e) विद्यालय राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी के लिए निरीक्षण हेतु खुला हुआ है।
- f) विद्यालय उन निदेशों का अनुपालन करता है, जो इसे राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकार द्वारा दिया जाता है, एवं तत् संबंधी आवष्यकतानुसार अपना प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी को समय-समय पर प्रतिवेदित करते रहते हैं, ताकि मान्यता की पूर्ति की शर्तों को पूरा किया जा सके एवं विद्यालय को संचालित करने में जो बाधाएँ आती हैं, उन्हें दूर किया जा सके।
- 2) प्रपत्र 1 में वर्णित प्रत्येक घोषणापत्र को जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा इसकी प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।
- 3) जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रपत्र संख्या 1 में उल्लिखित दावों, मानकों एवं मानदंडों की शर्तों का, जैसा कि उपनियम (1) में स्पष्ट किया गया है, के आलोक में स्वघोषणा-पत्र की प्राप्ति के तीन माह के भीतर विद्यालय का स्थल निरीक्षण करेगा।
- 4) स्थल निरीक्षण के पश्चात जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उपनियम (3) के प्रावधानों के अनुरूप निरीक्षण प्रतिवेदन को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा, और यदि विद्यालय उपरोक्त मानकों, मानदंडों एवं शर्तों को पूरा करता है, तो निरीक्षण के 15 दिनों के भीतर प्रपत्र संख्या – 2 में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालय को मान्यता प्रदान कर दी जाएगी।
- 5) ऐसे विद्यालय जो निर्धारित मानकों, मानदण्डों एवं नियम के अनुरूप नहीं हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी सार्वजनिक व्यवस्था के माध्यम से उन विद्यालयों को सूचीबद्ध करेगा और अगले ढाई साल के भीतर विद्यालय को मान्यता प्रदान करने हेतु विद्यालय का स्थल निरीक्षण करने के संबंध में अनुरोध कर सकता है।
- 6) वैसे विद्यालय जो उपनियम (1) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप मानकों, मानदण्डों एवं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें इस अधिनियम के लागू होने के तीन साल बाद कार्य करने से रोक दिया जाएगा।
- 7) वैसे सभी विद्यालय, जिनकी रथापना इस अधिनियम को लागू होने के पश्चात् निजी स्वामित्व अथवा राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकार के द्वारा नहीं की गई है और यदि ऐसे विद्यालय उपनियम (1) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप मानकों, मानदण्डों एवं शर्तों को पूरा करते हैं, तो उन्हें भी मान्यता प्रदान की जा सकती है।

3.7.5 धारा 18 (3) एवं 12(3) के प्रयोजनों के लिए मान्यता की वापसी

- 12.(1) जहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी को अपनी गतिविधियों से अथवा किसी भी व्यक्ति से कोई ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होता है, जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि विद्यालय नियम (12) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है, अथवा उसने नियमों का उल्लंघन किया है या अनुसूची में विहित शर्तों का उल्लंघन किया है, तो वह इस रूप में कार्रवाई करेगा।
- a) विद्यालय को इस आषय की सूचना जारी करेगा कि उसने मान्यता प्रदान करने के शर्तों का उल्लंघन किया है, और इस बाबत उसे एक माह के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।
- b) यदि विद्यालय समय सीमा के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता है, या उसका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी उक्त विद्यालय का निरीक्षण करा सकता है, जिनमें तीन से पाँच सदस्य रह सकते हैं, इन सदस्यों में शिक्षाविद्, नगर समुदाय के प्रतिनिधि, मीडिया एवं सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं। ये सभी इस बात की जाँच करेंगे कि विद्यालय की प्रदत्त मान्यता जारी रखी जाए अथवा उसे निरस्त कर दिया जाए। जाँचोपरान्त सदस्य अपना जाँच प्रतिवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।
- c) जिला शिक्षा पदाधिकारी उक्त जाँच प्रतिवेदन को अपनी टिप्पणी के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु बाल अधिकार संरक्षण प्राधिकार या शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकार को अग्रसारित कर देगा एवं उनकी एक प्रति राज्य शिक्षा विभाग को भी प्रेषित की जाएगी।
- 2) बाल अधिकार संरक्षण प्राधिकार या शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकार के लिए गठित राज्य आयोग संबंधित विद्यालयों से स्पष्टीकरण प्राप्ति के पश्चात एवं सम्यक जाँचोपरान्त अपनी अनुषंसाएँ राज्य शिक्षा विभाग को भेज देती है।
- 3) राज्य शिक्षा विभाग अपने निर्णयों से उपनियम (2) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप उक्त अनुषंसाओं के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को अवगत कराएगी।
- 4) जिला शिक्षा पदाधिकारी राज्य शिक्षा विभाग के निर्णय के आलोक में किसी विद्यालय की प्रदत्त मान्यता को निरस्त करने के संबंध में आदेष निर्गत करेगा। यह आदेष अगले शैक्षणिक सत्र आरंभ होने के तत्काल बाद ही प्रभावी हो जाएगा और पड़ोस के वैसे विद्यालयों को चिह्नित किया जाएगा, जहाँ उस विद्यालय के बच्चों का नामांकन कराया जा सके जिसकी मान्यता निरस्त कर दी गई है।

बोध प्रब्लेम

टिप्पणी: क) अपने उत्तर दिए गए स्थान में दीजिए।

ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

- 3) निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के अंतर्गत विद्यालयों के दायित्व का उल्लेख कीजिए।

3.8 विद्यालय प्रबंधन समिति

3.8.1 धारा 21 के प्रयोजनों के लिए विद्यालय समिति का गठन एवं उसके कार्य

- 1) गैर-अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर नियत तिथि के 6 माह के भीतर प्रत्येक विद्यालय में एक प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा और प्रत्येक 2 वर्ष पर इसका पुनर्गठन होता रहेगा।
- 2) प्रबंध समिति के कुल सदस्यों में से 75 प्रतिष्ठत सदस्य बच्चों के माता-पिता या अभिभावक होंगे।
- 3) शेष 25 प्रतिष्ठत सदस्य निम्नांकित व्यक्तियों में से लिया जाएगा:
 - a) एक-तिहाई सदस्य स्थानीय प्राधिकार के निर्वाचित सदस्य होंगे।
 - b) एक-तिहाई सदस्य संबंधित विद्यालय के होंगे।
 - c) शेष एक तिहाई सदस्य समिति में शामिल बच्चों के माता-पिता या अभिभावक द्वारा तय किए जाएँगे, जिनमें स्थानीय विद्यालय एवं संबंधित विद्यालय के बच्चे होंगे।
- 4) अपनी गतिविधियों को संचालित करने हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति इन सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगा। विद्यालय का प्रधान विद्यक या जिस विद्यालय में प्रधान विद्यक नहीं है, उस विद्यालय का वरीयतम विद्यक पदेन संयोजक होगा।
- 5) विद्यालय प्रबंधन समिति प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक आयोजित करेगा एवं अपने क्रियाकलापों एवं निर्णयों को एक रजिस्टर में विधिवत् दर्ज करेगा एवं अवलोकन हेतु जनता को उपलब्ध कराएगा।
- 6) प्रबंधन समिति धारा 21(2) के उपखंड (a) से (d) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप अपनी सामान्य गतिविधियों के अतिरिक्त निम्नांकित गतिविधियों को भी संचालित कर सकेगी और इसके लिए वह सदस्यों के छोटे-छोटे समूहों का गठन कर सकती है:
 - a) इस अधिनियम में बाल अधिकार से संबंधित राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार, विद्यालय, माता-पिता एवं अभिभावकों के कर्तव्यों के बारे में सरल एवं रचनात्मक विधि से पड़ोस की आबादी वाले विद्यालयों को जानकारी उपलब्ध कराने की बात की गई है।
 - b) धारा 24 एवं 28 के उपखंड (a) और (d) के क्रियान्वयन को सुनिष्चित करना।
 - c) धारा 27 के आलोक में यह सुनिष्चित करना कि विद्यक गैर-घैक्षिक कार्यों के बोझ से दबे हुए तो नहीं हैं।
 - d) पड़ोसी विद्यालयों में नामांकित सभी बच्चों की लगातार उपस्थिति को सुनिष्चित करना।
 - e) अनुसूची में अंतर्निहित प्रावधानों के अनुरूप मानकों, मानदंडों के रखरखाव की निगरानी करना।

- f) धारा 3(2) के आलोक में स्थानीय अधिकारी का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट कराना कि बाल अधिकार और खासकर मानसिक और शारीरिक रूप से बच्चों को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, या विद्यालय में उन्हें नामांकन कराने से वंचित किया जा रहा है एवं उपयुक्त समय पर उसे विद्यालय में निःशुल्क नामांकन कराने की सुविधा दी जा रही है।
 - g) धारा 4 के प्रावधानों के अनुपालन हेतु आवष्यकताओं को जानना एवं उसके लिए कार्य योजना तैयार करना आदि और इनके लिए इन सबों की सतत निगरानी करते रहने की आवष्यकता है।
 - h) विकलांग बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराने में अपनी भागीदारी को सुनिष्चित करना एवं उनके नामांकन हेतु पहचान की प्रक्रिया की निगरानी करना।
 - i) विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की स्थिति की निगरानी करना।
 - j) विद्यालय के खर्च के लिए एक वार्षिक आय-व्यय का लेखा / बजट तैयार करना।
- 7) इस अधिनियम के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति को उपलब्ध कराए गए धन को एक अलग खाते में रखा जाएगा और अंकेक्षण हेतु उसे प्रत्येक वर्ष उपलब्ध कराया जाएगा।
- 8) उप नियम (6) एवं (7) के उपखंड (c) में वर्णित प्रावधानों के आलोक में इस खाते का संचालन विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं संयोजक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाना चाहिए एवं स्थानीय प्राधिकार को इसे तैयार कर लेने के एक माह के भीतर उपलब्ध करा देना चाहिए।

3.8.2 धारा 22 के प्रयोजनों के लिए विद्यालय के विकास के लिए योजना तैयार करना

14. i) इस अधिनियम के तहत विद्यालय प्रबंध समिति वित्तीय वर्ष समाप्त होने के तीन माह पूर्व ही पहली बार विद्यालय के विकास के लिए एक योजना तैयार करेगी।
- ii) विद्यालय विकास योजना तीन वर्षीय योजना होगी, जिसमें तीन वर्षीय उपयोजनाएँ शामिल होगी।
- iii) विद्यालय विकास योजना में निम्नांकित विवरण शामिल होंगे:
- a) प्रत्येक वर्ष वर्गवार नामांकन का आकलन।
 - b) तीन साल की अवधि के लिए कक्षा I से V एवं VI से VIII तक के लिए अलग-अलग प्रधान शिक्षक, विषय शिक्षक, अंषकालीन शिक्षक एवं अतिरिक्त शिक्षकों की आवष्यकता का आकलन, अनुसूची में निर्धारित मापदंड के आधार पर तय कर लेनी होगी।
 - c) तीन साल की अवधि के लिए अनुसूची में निर्धारित मापदंडों के आलोक में भौतिक रूप में बुनियादी सुविधाओं, उपकरणों आदि का आकलन कर लेना होगा।

- d) उपरोक्त (b) और (c) के परिप्रेक्ष्य में वर्षवार तीन वर्षों के लिए अतिरिक्त प्रक्रिया आवश्यकताएँ, जो धारा 4 के अनुरूप बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, वर्द्दी आदि अन्य सुविधाएँ एवं उन्हें विशेष प्रणिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक है, उसका आकलन कर लेना होगा साथ ही इस अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयों की वांछित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता का भी आकलन करना होगा।
- e) विद्यालय विकास योजना जो वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पूर्व ही तैयार कर ली जाती है, उसे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं संयोजक के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए ताकि उसे स्थानीय प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित किया जा सके।

बोध प्रब्ल्यू

- टिप्पणी: क) अपने उत्तर दिए गए स्थान में दीजिए।
ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।
4) विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का वर्णन कीजिए।
-
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- 5) विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए।
-
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3.9 षिक्षक

3.9.1 धारा 23(1) के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम योग्यता

15. i) धारा 23 की उपधारा (1) के आलोक में प्राथमिक षिक्षक की नियुक्ति के संबंध में षिक्षकों की न्यूनतम योग्यता के लिए शैक्षिक पदाधिकारी तीन महीनों के भीतर इस आषय की अधिसूचना जारी करेगा।
- ii) शैक्षिक प्राधिकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता उपनियम (1) के आलोक में सभी विद्यालयों के लिए समान रूप से लागू होगा जैसा कि धारा 2 के अनुभाग (एन) में वर्णित है।

3.9.2 धारा 23(2) के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम योग्यता में छूट

16. i) अनुसूची में वर्णित मानकों के अनुरूप राज्य सरकार प्रत्येक विद्यालय के लिए षिक्षकों की आवश्यकता का आकलन करेगी और यह अधिनियम के लागू होने के 6 माह के भीतर धारा 2 के अनुभाग (एन) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप की जाएगी।
- ii) जिस राज्य में पर्याप्त संख्या में पाठ्यक्रम या षिक्षण-प्रषिक्षण संस्थान नहीं हैं, एवं नियम 15 के उपनियम (2) के अंतर्गत न्यूनतम योग्यता रखने वाले षिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं हैं, वैसी परिस्थिति में राज्य सरकार उपनियम (1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार से 1 साल के भीतर निर्धारित न्यूनतम योग्यता में छूट प्रदान करने हेतु अनुरोध करेगी।
- iii) केन्द्र सरकार अनुरोध पत्र प्राप्ति के बाद नियम (2) के तहत जाँचोपरान्त राज्य सरकार को एक अधिसूचना के माध्यम से न्यूनतम योग्यता में छूट देने पर विचार कर सकती है।
- iv) उपनियम (3) के आलोक में अधिसूचना में छूट की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि इस छूट की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी और अधिनियम के पारित होने की तिथि से पाँच वर्षों के भीतर नियुक्त ऐसे सभी षिक्षकों को धारा 23 की उपधारा (2) के आलोक में न्यूनतम निर्धारित योग्यता हासिल कर लेनी होगी।
- v) अधिनियम के लागू होने के 6 माह पश्चात् शैक्षिक प्राधिकारी द्वारा धारा 8 के उपधारा (1) के आलोक में उपनियम (3) के अनुरूप अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं रखने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति षिक्षक के रूप में किसी भी विद्यालय में नहीं की जा सकती है।
- vi) इस अधिनियम के लागू होने के 6 माह के भीतर यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति षिक्षक के रूप में की जाती है, तो उसकी शैक्षिक योग्यता किसी भी स्थिति में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र या उसके समकक्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

3.9.3 धारा 23(2) के प्रावधानों के अंतर्गत न्यूनतम योग्यता हासिल करना

17. i) इस नियम के लागू होने के 5 वर्ष के भीतर यदि कोई षिक्षक धारा 2 उपखंड (i) और (iii) के अनुभाग (एन) के अंतर्गत नियम 15 के उपनियम (2) के अनुरूप निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं रखता हो तो राज्य सरकार ऐसे विद्यालयों में कार्यरत सभी षिक्षकों को षिक्षण प्रषिक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा, ताकि यह सुनिष्चित किया जा सके कि कार्यरत सभी षिक्षकों ने उपरोक्त धारा, नियम, उपनियम के अनुरूप निर्धारित न्यूनतम योग्यता हासिल कर ली है।
- ii) यदि किसी विद्यालय के किसी षिक्षक के धारा 2 उपखंड (i) और (vi) के अनुभाग (एन) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं है, तो ऐसे विद्यालयों की प्रबंध समिति इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से 5 वर्ष के भीतर नियम 15 के उपनियम (2) के दिशा निर्देशों के अनुरूप उन षिक्षकों को निर्धारित न्यूनतम योग्यता हासिल करने में सहायता उपलब्ध कराएगी।

3.9.4 धारा 23 के प्रयोजनों के लिए शिक्षकों का वेतन भत्ता एवं सेवा शर्तें

18. i) शिक्षकों का पेषेवर और स्थाई कैडर तैयार करने के उद्देश्य से राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार शिक्षकों के लिए वेतन भत्ता एवं सेवा शर्तों से संबंधित एक अधिसूचना जारी करेगी।
- ii) बिना किसी पूर्वाग्रह के उपनियम (1) के अनुरूप शिक्षकों की सेवा शर्तों के संबंध निम्नांकित बातों पर खास कर ध्यान रखा जाएगा:
- धारा 21 के अंतर्गत गठित प्रबंध समिति के प्रति शिक्षकों की जवाबदेही।
 - शिक्षकों को अध्यापन पेषे में सक्षम बनाने हेतु दीर्घकालीन नीति का प्रावधान।
 - धारा 4 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप शिक्षकों को वेतन, भत्ता, चिकित्सा सुविधा, पेंषन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि एवं अन्य विशिष्ट लाभ उसी रूप में देय होगा, जिस तरह से अनुभव के आधार पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु शिक्षकों की नियुक्ति नियमित रूप से की गई है।

3.9.5 धारा 24(1) के उपखंड (a) के प्रयोजन के लिए शिक्षकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्य

19. i) धारा 24 (i) में वर्णित क्रियाकलापों के निष्पादन एवं धारा 29 की उपधारा (2) के उपखंड (b) का आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को प्रत्येक बच्चे से संबंधित एक समेकित रजिस्टर तैयार करना होगा, जिसके आधार पर धारा 30 की उपधारा (2) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप बच्चों को शिक्षा पूरा कर लेने का प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सके।
- ii) इसके अतिरिक्त धारा 24 की धारा (1) के उपखंड (a) से (c) तक में वर्णित क्रियाकलापों का निष्पादन करते हुए एक शिक्षक, नियमित शिक्षकों के क्रियाकलापों में बिना हस्तक्षेप किए हुए निम्नांकित कर्तव्यों का पालन करेंगे:
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी।
 - पाठ्यक्रम तैयार करने, पाठ्यपुस्तकों को विकसित करने में अपनी भागीदारी।

3.9.6 धारा 24(3) के प्रयोजनों के लिए शिक्षकों का शिकायत निवारण तंत्र

20. i) धारा 21 के अंतर्गत गठित विद्यालय प्रबंध समिति शिक्षकों की शिकायतों को दूर करने का पहला स्तर होगा।
- ii) राज्य सरकार, राज्य जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर शिक्षकों की शिकायतों को दूर करने हेतु अधिकरणों को गठन करेगी।

3.9.7 धारा 25 के प्रयोजनों के लिए छात्र-शिक्षकों का अनुपात बनाए रखना

21. i) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार नियत तिथि के तीन महीनों के भीतर विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या के बारे में एवं अधिसूचना जारी करेगा।

इसके अलावा राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार ऐसी अधिसूचना जारी होने के तीन महीनों के भीतर वैसे विद्यकाओं की पुनर्नियुक्ति कर सकता है, जिनकी नियुक्ति उपनियम (1) में वर्णित भीतर प्रावधानों के अनुरूप अधिसूचना जारी होने के पूर्व की गई थी और विद्यालय में विद्यकाओं की संख्या स्वीकृति पदों की संख्या से अधिक है।

बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत आदर्श नियम

- ii) यदि राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार का कोई व्यक्ति धारा 25 की उपधारा (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो वह व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अनुषासनात्मक कार्यवाही हेतु उत्तरदायी होगा।

बोध प्रष्ट

- टिप्पणी:** क) अपने उत्तर दिए गए स्थान में दीजिए।
ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

6) षिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में निःशुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा का अधिकार अधिकारी 2009 के अंतर्गत सरकार के लिए प्रदत्त दिशा-निर्देशों एवं कर्तव्यों का विश्लेषण कीजिए।

3.10 पाठ्यक्रम एवं प्राथमिक शिक्षा का पूर्ण होना

3.10.1 धारा 29 के प्रयोजनों के लिए शैक्षिक-प्राधिकार

22. 1) राज्य सरकार राज्य के शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद या इसके समकक्षों को धारा 29 के प्रयोजनों के लिए शैक्षिक प्राधिकार को सूचित करेगा।

2) उपनियम (1) के अंतर्गत अधिसूचित पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए शैक्षिक प्राधिकार:

 - उम्र के लिहाज से प्रासंगिक एवं उपयुक्त पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक एवं अन्य शिक्षण सामग्री तैयार करेगा।
 - सेवारत शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण का डिजाइन विकसित करना और
 - अभ्यास में सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु दिशा—निर्देष तैयार करना।

3) उपनियम (i) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप शैक्षिक प्राधिकार (नियमित रूप से प्रशिक्षण डिजाइन और विद्यालय की समग्र गुणवत्ता का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया लागू करेगा)।

3.10.2 धारा 30 के प्रयोजन के लिए प्रमाण-पत्र का वितरण

23. i) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने के एक माह के भीतर विद्यालय, प्रखण्ड, जिला स्तर पर प्रमाण-पत्र का वितरण किया जाएगा।
- ii) उपनियम (i) के अनुसार प्रमाणपत्र में:
- a) बच्चों की समेकित पंजी में इस बात का भी जिक्र रहेगा कि बच्चों ने पाठ्यक्रम के अलावा नम्बर, संगीत, साहित्य, खेलकूद आदि क्षेत्रों में भी भाग लिया है।

3.11 बाल अधिकार का संरक्षण

3.11.1 धारा 31 के प्रयोजनों के लिए राज्य आयोग द्वारा बाल अधिकार संरक्षण के लिए किए गए प्रयास

24. 1) बाल अधिकार संरक्षण के संदर्भ में जिस राज्य में राज्य आयोग नहीं है, राज्य सरकार उक्त आयोग के गठन हेतु तत्काल कदम उठा सकती है।
- 2) जब तक राज्य सरकार उक्त आयोग का गठन नहीं कर लेती है, तब तक के लिए वह एक अंतरिम प्राधिकार का गठन कर सकती है। जिसे शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकार के नाम से जाना जाएगा। धारा 31 की उपधारा (i) के अनुरूप गतिविधियों के निष्पादन हेतु इस अधिनियम के लागू होने के 6 माह भीतर बाल अधिकार संरक्षण प्राधिकार हेतु राज्य आयोग का गठन कर सकती है (तथापि इन दोनों में जो भी पहले हो)।
- 3) शिक्षा का अधिकार प्राधिकार के अंतर्गत निम्नांकित बातें शामिल रहेगी यथा:
- a) अध्यक्ष उच्च शैक्षिक स्तर का प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति, अथवा उच्च न्यायालय का न्यायाधीष, अथवा बाल अधिकार को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट कार्य किया हो।
 - b) दो सदस्य जिसमें कम से कम एक महिला हो। ऐसी महिला जिसमें श्रेष्ठता, योग्यता, अखंडता, दृढ़ता, साहस एवं अनुभव हो।
 - i) शिक्षा
 - ii) बच्चे का स्वास्थ्य एवं बाल विकास
 - iii) बाल न्याय या उपेक्षित या सीमांत बच्चे, विकलांग बच्चे की देखभाल, बाल श्रम उन्मूलन या संकटग्रस्त बच्चों के साथ काम कर रहे हों।
 - iv) बाल मनोविज्ञान या समाजशास्त्र
 - v) कानूनी पेषा
- 4) बाल अधिकार संरक्षण नियम 2006 के लिए राष्ट्रीय आयोग शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकार के सभी सदस्यों के लिए यथोचित नियम एवं शर्तें लागू करेगा।
- 5) शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकार की सभी परिसम्पत्तियाँ एवं अभिलेख बाल अधिकार संरक्षण के लिए गठित राज्य आयोग को तत्काल हस्तांतरित कर दी जाएंगी।
- 6) अपने कार्यों के निष्पादन हेतु राज्य आयोग अथवा शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकार (जैसा भी मानना हो) बाल अधिकार संरक्षण के लिए राज्य सलाहकार परिषद द्वारा दिए गए परामर्श के अनुरूप भी काम कर सकती है।

- 7) राज्य सरकार राज्य आयोग में एक प्रकोष्ठ का गठन करने के लिए सहयोग करेगी, जो बाल अधिकार संरक्षण या षिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकार (जैसा भी मामला हो) इस अधिनियम के अंतर्गत आयोग को अथवा षिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकार को उनके कार्यों के निष्पादन में सहयोग कर सकती है।

3.11.2 राज्य आयोग के समक्ष बाल अधिकार संरक्षण के संबंध में षिकायतें प्रस्तुत करने की विधि

25. i) बाल अधिकार संरक्षण या षिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकार (जैसा भी मामला हो) के लिए राज्य आयोग एक बाल सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना करेगा, जहाँ पीड़ित बच्चे अभिभावक इस अधिनियम के तहत अपनी षिकायतों को एस.एम.एस., टेलीफोन या पत्र के माध्यम से दर्ज करा सकेंगे। इस प्रकोष्ठ में उनकी षिकायतों को इस रूप में दर्ज किया जाता है कि उनकी अपनी पहचान तो बनी रहती है, लेकिन वह बिल्कुल गोपनीय भी रहता है।
- ii) बाल अधिकार संरक्षण या षिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकार (जैसा भी मामला हो) के लिए गठित राज्य आयोग को “सहायता प्रकोष्ठ” में दर्ज सभी षिकायतों की निगरानी पारदर्शी “चेतावनी एवं कार्यवाही” तरीके से करनी चाहिए।

3.11.3 घारा 34 के प्रयोजनों के लिए राज्य सलाहकार परिषद का गठन एवं कार्य

26. i) राज्य सलाहकार परिषद में एक अध्यक्ष और 14 सदस्य होंगे।
- ii) मत्रांलय के प्रभारी मंत्री राज्य सरकार का विद्यालय षिक्षा विभाग परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे।
- iii) राज्य सरकार परिषद के लिए सदस्यों की नियुक्ति उन लोगों में से करेगा जिन्हें प्राथमिक षिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र का व्यापक व्यावहारिक ज्ञान एवं अनुभव होगा, जिनमें:
- a) कम से कम 4 सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के होंगे।
 - b) कम से कम 1 सदस्य उन लोगों में से होगा जिन्हें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को षिक्षा देने का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो।
 - c) एक सदस्य उन लोगों में से होगा जिन्हें पूर्व प्राथमिक षिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट जानकारी है।
 - d) कम से कम 2 सदस्य उन लोगों में से होने चाहिए जिन्हें षिक्षक-षिक्षण के क्षेत्र में विशिष्ट जानकारी एवं व्यावहारिक अनुभव हो।
 - e) 50 प्रतिष्ठत सदस्य महिलाएँ होगी।
- iv) विद्यालय षिक्षा विभाग परिषद की बैठक एवं अन्य गतिविधियों के लिए तर्कसंगत सहायता उपलब्ध कराएगा।
- v) परिषद के कार्य व्यापार लेन-देन आदि की प्रक्रिया निम्न रूप में संचालित होगी:
- a) अध्यक्ष अपनी सुविधानुसार परिषद की बैठक नियमित रूप से आहूत करेगा, किन्तु दो बैठकों के बीच का अंतराल तीन महीनों से कम नहीं होगा।

b) परिषद की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी, किन्तु यदि किसी कारणवश अध्यक्ष बैठक में उपस्थित होने में सक्षम नहीं है, तो वह परिषद के सदस्यों में किसी एक को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए मनोनीत कर सकता है। कुल सदस्यों में से 50 प्रतिष्ठत सदस्यों की उपस्थिति होने पर कोरम को पूरा माना जाएगा।

vi) परिषद के सदस्यों की नियुक्ति के लिए नियम एवं शर्तें इस प्रकार होंगी:

a) प्रत्येक सदस्य की कार्य अवधि दो वर्षों के लिए होगी और यह अवधि उस तिथि से प्रभावी मानी जाएगी, जिस तिथि से उसने कार्यकाल में अपना योगदान समर्पित किया है। किसी सदस्य का कार्यकाल दो साल से अधिक नहीं होगा।

b) दुर्व्यवहार, अक्षमता या निम्नांकित में से किसी एक भी कारण के आधार पर राज्य सरकार अपने एक आदेष से सदस्यों को अपने पद से हटा सकती है:

a) क्या दिवालिया घोषित किया गया है?

b) क्या काम नहीं करना चाहता है, या उसमें काम करने की योग्यता नहीं है?

c) क्या वह अस्वस्थ मस्तिशक का है अथवा किसी सक्षम योग्यता द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया है?

vii) यदि कोई सदस्य कार्यालय में रहकर अपने पद का दुरुपयोग करता है, और इसके कारण सार्वजनिक हित बाधित होता है, या

viii) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दोशी करार दिया गया हो, अथवा

ix) परिषद की लगातार दो बैठकों में बिना अवकाश लिए अनुपस्थित रहा हो।

x) किसी भी सदस्य को उसे सुने बिना या पर्याप्त अवसर दिए बिना पद से हटाया नहीं जाएगा।

xi) यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, या वह अपने पद से त्यागपत्र दे देता है, जिसके कारण कार्यालय में पद रिक्त हो जाता है, तो उपनियम (2) के प्रावधानों के अनुरूप ऐसे रिक्त पद को 120 दिनों के भीतर नई नियुक्ति के द्वारा भर लेना चाहिए।

xii) राज्य सरकार के आदेष से यदि परिषद का कोई सदस्य सरकारी यात्रा करता है, तो उसे यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय होगा और यही बातें समिति और आयोग के गैर-सरकारी सदस्यों पर भी समान रूप से लागू होंगी।

बोध प्रष्ठा

टिप्पणी: क) अपने उत्तर दिए गए स्थान में दीजिए।

ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

7) बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत क्या प्रावधान हैं? उल्लेख कीजिए।

- 8) निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत धारा 10 के अंतर्गत राज्य सलाहकार परिषद के क्या कार्य होंगे?

3.12 सारांश

इस इकाई में हमने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्यों के बारे में गहराई से जाना। हमने यह भी समझा कि विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन कैसे होता है तथा उसके क्या कार्य होते हैं? इस अधिनियम में शिक्षकों की न्यूनतम पात्रता योग्यता नियम तथा बाल अधिकारों के संरक्षण के संबंध में जाना। वर्तमान शैक्षिक परिवृत्ति में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 एवं बाल अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में राज्य सलाहकार परिषद के गठन एवं कर्तव्यों को समझने का प्रयास किया।

3.13 सत्रांत प्रष्ट

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 29 के प्रावधानों का वर्णन कीजिए।

3.14 बोध प्रष्टों के उत्तर

- 1) कोई बच्चा जो राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा संचालित विद्यालयों में जाता है, जैसा कि धारा 2 के उपखंड (i) के अनुभाग (एन) में वर्णित है अथवा कोई बच्चा जो धारा 2 के उपखंड (iii) एवं (iv) के अनुभाग (एन) में वर्णित विद्यालयों में जाता है, तो वे सभी बच्चे धारा 12 की उपधारा (1) के उपखंड (a) के अनुसार निःशुल्क पाठ्यपुस्तक लेखन सामग्री एवं वर्दी प्राप्त करने के हकदार होंगे। विकलांग बच्चों को भी निःशुल्क विशेष शिक्षण सामग्री एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- 2) स्थानीय प्राधिकार घरेलू सर्वेक्षण के आधार पर 6 – 14 वर्ष के सभी बच्चों से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव करेगा। इसमें बच्चों से संबंधित सभी जानकारियाँ होंगी।
- 3) इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व ऐसे सभी विद्यालय चाहे वे स्वपोषित हों अथवा जिन्हें राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार द्वारा स्थापित किया गया हो, उन्हें इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से तीन माह के

भीतर प्रपत्र संख्या—1 में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष अनुसूची में वर्णित मानकों, मापदंडों के अनुपालन के संबंध में निम्नांकित शर्तों के साथ एक स्वघोषणा पत्र समर्पित करना होगा।

- 4) बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 21 के अनुसार विद्यालय समिति का गठन किया जाएगा जिसमें कुल सदस्यों में से 75 प्रतिष्ठत सदस्य बच्चों को माता—पिता या अभिभावक होंगे। अन्य 25 प्रतिष्ठत सदस्यों में स्थानीय प्राधिकार के निर्वाचित सदस्य, विद्यालय के सदस्य एवं स्थानीय शिक्षाविद् एवं संबंधित विद्यालय के बच्चे होंगे।
- 5) विद्यालय प्रबंध समिति का प्रमुख कार्य अधिनियम की धारा 24 एवं 28 के उपर्युक्त (क) और (ख) के क्रियान्वयन को सुनिष्चित करता है, पड़ोसी विद्यालयों में नामांकित सभी बच्चों की लगातार उपस्थिति को सुनिष्चित करता है। साथ ही साथ शिक्षकों के गैर-शैक्षिक कार्यों के बोझ को कम करना है।
- 6) सरकार के लिए प्रदत्त दिषा निर्देश एवं कर्तव्य: अंक सूची में वर्णित मानकों के अनुरूप राज्य सरकार प्रत्येक विद्यालय के लिए शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन करेगी तथा तदनुसार शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। अधिनियम लागू होने के 5 वर्ष के भीतर सभी न्यूनतम योग्यता न रखने वाले शिक्षकों को शिक्षण प्रशिक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध कराएँगी।
- 7) बाल अधिकार संरक्षण या शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकार (जैसा भी मामला हो) के लिए राज्य आयोग एक बाल सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना करेगा, जहाँ पीड़ित बच्चे अभिभावक इस अधिनियम के तहत अपनी शिकायतों को एस.एम.एस., टेलीफोन या पत्र के माध्यम से दर्ज करा सकेंगे। इस प्रकोष्ठ में उनकी शिकायतों को इस रूप में दर्ज किया जाता है कि उनकी अपनी पहचान तो बनी रहती है, लेकिन वह बिल्कुल गोपनीय भी रहता है।
- 8) राज्य सलाहकार परिषद राज्य में बाल अधिकार संरक्षण एवं शिक्षा के अधिकार के संरक्षण को सुनिष्चित करेगी

3.15 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- द गजट ऑफ इन्डिया, विधि एवं न्याय मंत्रालय (वैद्यानिक विभाग), नई दिल्ली, 27 अगस्त 2009 — बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
- मेन फीचर्स ऑफ द आर.टी.ई. एक्ट 2009 images2.asercentre.org/.../mainfeatures-of-RTE-ad-2009.doc.
- righttoeducation.in/category/states/bihar
- www.bihartimes.in/newsbihar/2011/mag/Newsbihar11may2.html

इकाई 4 बाल अधिकार संरक्षण की कार्य प्रणाली (राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों पर)

इकाई की रूपरेखा

- 4.1 प्रस्तावना
 - 4.2 उद्देश्य
 - 4.3 बाल संरक्षण से हम क्या समझते हैं?
 - 4.4 बाल अधिकार संरक्षण की कार्य प्रणालियाँ
 - 4.5 राष्ट्रीय स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण की कार्य प्रणाली
 - 4.6 चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन
 - 4.7 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
 - 4.8 राज्य स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण की कार्य प्रणाली
 - 4.9 सारांश
 - 4.10 इकाई के अंत में अभ्यास
 - 4.11 बोध प्रज्ञों के उत्तर
 - 4.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें
-

4.1 प्रस्तावना

पिछली इकाइयों में हमने बाल अधिकार सम्मेलन (Convention on Rights to Child - CRC) के विषय में चर्चा की। भारत सरकार ने बच्चों एवं उनके अधिकारों के प्रति अपनी वचनबद्धता सुनिष्ठित करते हुए बाल अधिकार सम्मेलन पर 1992 में अपनी सहमति व्यक्त की। बाल अधिकार सम्मेलन के अनुसार बच्चों के अधिकार हर प्रकार के भेदभाव (प्रजाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य विचारधाराओं, राष्ट्र, नैतिक या सामाजिक उद्भव, गरीब या अक्षमता, दानों अथवा कोई एक पर आधारित) के विरुद्ध संरक्षित हैं। प्रत्येक बच्चे को जीवन जीने का, बने रहने का एवं विकास का मूलभूत अधिकार है। पर हम सब जानते हैं कि बाल अधिकारों का हनन नियमित रूप से हर जगह हो रहा है – घर में एवं विद्यालय में शारीरिक दंड, मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक कष्ट के रूप में, बाल श्रम, बालिका भ्रूण हत्या एवं बलात्कार, अपहरण एवं नषीले पदार्थों की तस्करी आदि। तो इन बच्चों को इस प्रकार के मानवाधिकार हनने से कैसे बचाया जाए? इस इकाई में हम राज्य में व देश में बच्चों के अधिकारों के अधिकार की कुछ राज्य स्तरीय व राष्ट्र स्तरीय प्रणालियों पर चर्चा करेंगे।

4.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप:

- बाल संरक्षण के अर्थ व प्रकृति की व्याख्या कर सकेंगे;
- बाल संरक्षण की विभिन्न कार्य प्रणालियों के प्रति जागरूक हो सकेंगे;

- बाल अधिकारों के हनन होने पर किसे संपर्क किया जाए व कैसे षिकायत की जाए? इसकी प्रक्रिया का वर्णन कर सकेंगे; और
- बाल संरक्षण कार्य प्रणालियों को सुनिष्ठित करने के लिए माता-पिता व समुदाय को संवेदित कर सकेंगे।

4.3 बाल संरक्षण से हम क्या समझते हैं?

बाल संरक्षण की कार्य प्रणाली पर चर्चा से पहले, हम यह जानें कि बाल संरक्षण का क्या अर्थ है? यूनिसेफ ने इस शब्द का प्रयोग बच्चों के प्रति हिंसा, शोषण एवं दुर्व्यवहार के विरुद्ध (जिसमें यौन शोषण, तस्करी, बाल श्रम एवं नुकसानप्रद रीतिरिवाज जैसे बाल विवाह आदि सम्मिलित हैं) किया जिससे बच्चों के अधिकारों का हनन न हो। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार बाल संरक्षण का अर्थ है बच्चों का हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार एवं उपेक्षा के विरुद्ध संरक्षण। यह बच्चों के जीवन को किसी प्रत्यक्षित अथवा वास्तविक खतरे / जोखिम के विरुद्ध संरक्षित करता है। सरकार ने बाल अधिकार संरक्षण के लिए निरोधक एवं संरक्षणात्मक उपागम स्वीकार किया है।

निरोधक उपागम में जागरूकता उत्पन्न करना, संचार माध्यमों की भूमिका, विभिन्न पक्षों का प्रषिक्षण एवं क्षमता निर्माण, कानूनी साक्षरता एवं विद्यालयों में यौन शिक्षा आदि सम्मिलित हैं। उदाहरण के लिए, बच्चों का खतरनाक उद्योगों जैसे बीड़ी बनाना, जरी का काम, चिकन का काम एवं पटाखा उद्योग आदि में कार्य करना निरुद्ध है। हम प्रायः ऐसे खतरनाक स्थानों पर बाल श्रमिकों को पुलिस द्वारा छापा मारकर छुड़ाने के समाचार सुनते हैं। दरी, कपड़ों के निर्यातकों व कई अन्य व्यापारियों को अपने उत्पाद निर्यात करने से पूर्व प्रायः यह हलफनामा देना होता है कि उन्होंने उद्योगों में बच्चों को रोजगार नहीं दिया है। यह शोषण के विरुद्ध निरोधक उपाचारों के तरीकों का एक उदाहरण है।

संरक्षणात्मक उपाय नुकसान के बाद की परिस्थितियों में कार्य करते हैं और इसमें भविष्य में बच्चों को ऐसे नुकसानों से बचाने की बहुत सी रणनीतियाँ सम्मिलित हैं। संरक्षण में अवघ्यभावी एवं परिस्थितिजन्य नुकसानों से उचित एवं समयानुकूल बचावों द्वारा सुरक्षा को अधिकतम करना (जो बच्चों के घर, समुदाय एवं विद्यालय के दैनिक वातावरण का हिस्सा है) सम्मिलित है। यह उस सिद्धांत पर आधारित है कि बच्चों को किसी भय, शोषण एवं दुर्व्यवहार के बिना देखभाल एवं पोषक वातावरण में बढ़ने व विकसित होने का अधिकार है।


आपको कुभकोणम के लार्ड कृष्णा विद्यालय में 2004 में हुआ अग्निकांड याद होगा जिसमें मध्याहन भोजन बनाते समय लगी आग से 94 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। इस दुर्घटना ने सरकार को सर्व षिक्षा अभियान के तहत विद्यालय सुरक्षा मानक बनाने को विषय किया। जिससे सभी विद्यालयों में अग्निसुरक्षा सूचक (अलार्म) एवं अग्नि संबंधी दुर्घटना होने पर बच्चों की सुरक्षा के उपाय रखना होता है। एक षिक्षक के रूप में आप बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण से जुड़े कुछ उपाय अपना सकते हैं जैसे यदि विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों के लिए पृथक शौचालय न हों तो आप दो लड़कियों को एक साथ शौचालय भेज सकते हैं। यदि बच्चों की छोटी-छोटी गलतियों पर भी माता-पिता द्वारा पिटाई की जाती है तो षिक्षक-अभिभावक संघ की बैठक में या माता-पिता से बात करके समस्या सुलझा सकते हैं। समुदाय के बड़ों से बात करके, विद्यार्थियों में बालिका षिक्षा, लड़के एवं लड़कियों की समानता, एवं बाल विवाह के नकारात्मक प्रभावों के प्रति अपने दैनिक कक्षीय क्रियाकलाप द्वारा जागरूकता उत्पन्न करके, बच्चों के अधिकारों के संरक्षण एवं जागरूकता उत्पन्न करने में आप मदद कर सकते हैं।

4.4 बाल अधिकार संरक्षण की कार्य प्रणालियाँ

बच्चे सर्वाधिक महत्वपूर्ण समूह हैं जिनके अधिकारों व रुचियों का संरक्षण एवं बचाव की आवश्यकता है। बाल संरक्षण का लक्ष्य किसी भी दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण एवं हिंसा के विरुद्ध बच्चों के अधिकारों का संरक्षण, पोषण एवं निरोधन है जैसा कि बाल अधिकार सम्मेलन व भारतीय संविधान में अभिमत है। एक विद्यालय के एवं समाज के रूप में आप भली-भाँति परिचित होंगे कि अक्सर घरों में लड़के एवं लड़कियों के साथ पृथक-पृथक व्यवहार होता है या उनके अधिकारों का हनन होता है। प्रायः लड़कियों को बड़े होने के बाद पढ़ने नहीं दिया जाता है और परिवार में लड़कों की तुलना में पोषक भोजन से भी उन्हें वंचित रखा जाता है। बिहार के कई क्षेत्रों में बाल विवाह सामान्य सी घटना है। हमारे रोजमर्रा के अनुभवों में बाल उपेक्षा, बाल दुर्व्यवहार, बाल श्रम एवं शारीरिक दंड आदि बाल अधिकारों के हनन के उदाहरण घर एवं विद्यालय अथवा दोनों जगहों पर मिल जाते हैं। बाल संरक्षण कार्य प्रणालियाँ, सभी परिस्थितियों अर्थात् घर, समुदाय एवं विद्यालय आदि में बच्चों द्वारा अनुभव किए जाने वाले शोषण, दुर्व्यवहार, हिंसा एवं उपेक्षा से उनके बचाव, संरक्षण, प्रतिक्रिया एवं समाधान का प्रयास करती हैं। अतः बच्चे अपने बचपन को बिना किसी भय या तनाव के आनंद लें, यह सुनिष्चित करने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य, दोनों स्तरों पर विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

बाल अधिकार संरक्षण की कार्य प्रणाली (राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों पर)

भारत सरकार ने बच्चों के अधिकार एवं रुचियों की सुरक्षा के लिए विभिन्न नीतियाँ एवं योजनाएँ प्रारंभ की हैं। यह सुनिष्चित करती हैं कि बच्चे सभी प्रकार के शोषण एवं दुर्व्यवहार से सुरक्षित हैं। बच्चों की रुचियों एवं अधिकारों के संरक्षण हेतु दो प्रकार की कार्य प्रणालियाँ स्वीकार की गई हैं:



चलिए, अब हम इनमें से कुछ कार्य प्रणालियों पर विचार-विमर्श करते हैं जो बच्चों के अधिकार तथा उनकी विकायतों के समाधान सुनिष्चित करती हैं।

4.5 राष्ट्रीय स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण की कार्य प्रणाली

आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संविधान बाल अधिकार एवं उनके संरक्षण का सर्वश्रेष्ठ अभिरक्षक है। जैसे संविधान की धारा 15 में बच्चों के अधिकार एवं संरक्षण को विभिन्न विशिष्ट नियमों व नीतियों द्वारा विशेष रूप से सुनिष्चित किया गया है। जैसा कि हम पहले की इकाइयों में चर्चा कर चुके हैं, कि समानता, जीवन की सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं शोषण के विरुद्ध अधिकारों को धारा 14 (कानून के समक्ष समानता); धारा 15 (धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न होना); धारा 19ए (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता); धारा 21ए (छ: से छोड़ह वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य विद्या); धारा 23 (मानव तस्करी एवं जबरदस्ती श्रम का निरोध) एवं धारा 24 (उद्योगों में बच्चों को काम देने पर रोक) आदि द्वारा प्रदान किया गया है।

देश में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु बहुत से कानून हैं जैसे – बाल विवाह (निरोधक) अधिनियम, 1929; बाल श्रम (निरोधन एवं नियमन) अधिनियम 1986; किषोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000; अनैतिक तस्करी (निरोधक) अधिनियम; प्रसव–पूर्व जाँच (नियंत्रक, निरोधक एवं दुरुपयोग) अधिनियम, 1994 आदि। यह सभी कानून यह सुनिष्ठित करते हैं कि बच्चों के अधिकार उचित प्रकार सुरक्षित रहें।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) में प्रथम बार यह स्वीकार किया गया कि बच्चों के संरक्षण पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में एक नए कार्यक्रम समन्वित बाल संरक्षण योजना (Integrated Child Protection Scheme – ICPS) प्रारंभ की गई जो बच्चों की कठिन परिस्थितियों में सुरक्षा सुनिष्ठित करती है एवं उनके प्रति दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण एवं परित्याग की संभावना कम करती है। इस योजना का प्रारंभ मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development - MHRD) के महिला एवं बाल विकास विभाग (Department of Women and Child Development - DWCD) द्वारा महिलाओं व बच्चों के संपूर्ण विकास हेतु किया गया। जैसा कि स्पष्ट है, समन्वित बाल संरक्षण योजना बच्चों को कठिन परिस्थितियों में संरक्षण एवं अन्य संभावित परिस्थितियों जैसे गलियों में घूमने वाले बच्चे, बाल श्रम, बलात बाल व्याभिचार, एवं यौन आक्रमण में संरक्षण हेतु सरकार समाज सहयोग आधारित, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों के लिए एक विस्तृत राष्ट्रीय कार्य योजना 2005 (National Action Plan for Children 2005) भी विकसित की गई है जो 18 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के अधिकारों को सुनिष्ठित करती है। बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का मार्गदर्शक सिद्धांत है कि यह बच्चों को एक संपत्ति एवं मानवाधिकार युक्त व्यक्ति मानती है, एवं यह लिंगभेद, जाति, प्रजाति, धर्म आधारित भेदभाव के विरुद्ध कानूनी स्तर पर समानता सुनिष्ठित करती है। इस योजना ने बाल्यावस्था के विभिन्न स्तरों की पहचान की है एवं बाल अधिकारों को शैशवावस्था से किषोरावस्था तक सुनिष्ठित किया है कि उन्हें माता–पिता द्वारा उचित देखभाल व संरक्षण मिले, वे कुपोषित न हों, किसी भी प्रकार का शोषण न हों एवं वे अपनी अनिवार्य शिक्षा पूरी करें।

बाल संरक्षण की योजनाएँ एवं कार्यक्रम

- अपनी कक्षा में आप देखते हैं कि एक बालिका को उपस्थिति संबंधी समस्या है; जाँच करने पर आप पाते हैं कि उसके साथ घर में शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूपों में दुर्व्यवहार होता है। आप उसकी मदद करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे?
- विद्यालय जाते समय चौराहों पर आप बच्चों को भीख माँगते देखते हैं? आप उनकी मदद कैसे करेंगे?
- आपके विद्यालय में एक शिक्षक छोटी–सी गलती पर भी अक्सर बच्चों को शारीरिक दंड देता है? आप इन बच्चों के संरक्षण की क्या प्रक्रिया अपनाएँगें? बाल अधिकारों का यह हनन कैसे रोका जाए?

बहुत सी ऐसी योजनाएँ व कार्यक्रम हैं जो उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में बाल अधिकारों के हनन से बच्चों का संरक्षण करती है; इस भाग में हम सरकार को उन योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर विचार–विमर्श करेंगे, जिनके माध्यम से आप कक्षा एवं समुदाय में बच्चों के अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं। कुछ ऐसी ही योजनाएँ यहाँ बताई जा रही हैं।

4.6 चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1996 में चाइल्डलाइन सर्विस के नाम से एक परियोजना सङ्गठकों में घूमने वाले संकटग्रस्त बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई। इस परियोजना के अंतर्गत चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन (Childlife India Foundation - CIF) की स्थापना एक नियंत्रक संगठन के रूप में स्वयंसेवी संस्थाओं (चाइल्डलाइन सेवा केंद्रों) के माध्यम से सेवाओं को संचालित करने के लिए की गई। यह एक 24 घंटे चलने वाली निःशुल्क दूरभाष सेवा है जिसमें संकट के समय बच्चों या उनके लिए किसी प्रौढ़ द्वारा 1098 पर फोन किया जा सकता है। यह सेवा देश के 30 राज्यों (बिहार सहित) के विभिन्न नगरों/जिला मुख्यालयों पर संचालित हो रही है। यदि आप देखते हैं कि किसी बच्चे से दुर्व्यवहार हो रहा है या वह संकट में है (जैसे सङ्गठक में अकेला है, नियोक्ता द्वारा उत्पीड़ित या शोषित है या अनैतिक व्यापार में धकेला जा रहा है) एवं उसे तत्काल सहायता की आवश्यकता है, तो आप 1098 पर सहायता के लिए बात कर सकते हैं। नीचे बिहार राज्य में बाल श्रमिकों के बचाव एक सत्य घटना वर्णित की गई है।

बाल अधिकार संरक्षण की कार्य प्रणाली (राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों पर)

बिहार में बाल श्रमिकों का बचाव

अप्रैल 2009 में कोलकाता में चाइल्डलाइन इकाई को एक अनजान सूचना मिली कि बिहार में कटिहार जिले के सुदूर क्षेत्र से 30 बच्चे निर्माण श्रमिकों के रूप में दिल्ली में कार्य करने के लिए भेजे जाएँगे। सूचना देने वाले ने बताया कि इन बच्चों के साथ 4–5 तस्कर भी होंगे पर यह नहीं पता कि वे किस रेलगाड़ी से जाएँगे? संभावित गाड़ी महानंदा या आम्रपाली एक्सप्रेस हो सकती है। फोन पर प्राप्त इस सूचना ने पञ्चिम व उत्तर क्षेत्रों के चाइल्डलाइन केन्द्रों को आपस में मिलकर इन बच्चों को छुड़ाने के लिए लगा दिया। दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय सूचना मिलने पर यह ढूँढ़ने में लग गया कि गाड़ी की सही स्थिति क्या है एवं वह कहाँ से गुजरेगी? अथक प्रयास के बाद चाइल्डलाइन की टीम आम्रपाली एक्सप्रेस से लखनऊ में 37 एवं कानपुर में आठ बच्चों को बचाने में सफल हुई। लगभग सभी बच्चे बिहार के कटिहार जिले के थे एवं बाद में उन्हें उनके घर भेजा गया।

घुमंतू बच्चों हेतु एक समन्वित कार्यक्रम

इस योजना के अंतर्गत स्वयंसेवी संस्थाएँ 24 घंटे कार्य करके बच्चों को सिर छुपाने की जगह, खाना, कपड़ा, औपचारिक विकास, मनोरंजन, परामर्श एवं निर्देशन सेवाएँ प्रदान करती हैं। इस योजना में बच्चों का विद्यालयों में नामांकन, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सेवायोजन, नषीले पदार्थों के सेवन एवं एच.आई.वी./एड्स से बचाव आदि भी सम्मिलित हैं।

सीमा, एक 14 वर्षीय अनाथ लड़की अपने नियोक्ता (जहाँ वह घरेलू नौकरानी के रूप में कार्य करती थी) द्वारा छोटी-छोटी गलतियों पर भी निरंतर प्रताड़ित की जा रही थी, उसकी पिटाई की जा रही थी। जब वह मार बर्दाष्ट न कर सकी, वह वहाँ से भाग गई एवं गया स्टेषन पर पहुँची। वह वहाँ भीख माँग रही थी जब एक स्वयंसेवी संस्था "पीपल फर्स्ट" के स्वयंसेवकों ने उसे देखा। वे उसे बिहार राज्य के गया जनपद में पीपल फर्स्ट द्वारा संचालित रेस्क्यू जंक्षन पर लाए। इस परियोजना के उद्देश्य घुमंतू बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना व उन्हें दुर्व्यवहार व बाल-तस्करी से बचाना है। यह छुड़ाए गए बच्चों व कानून से वंचित बच्चों को विकास, सहायता व निर्देशन देता है। रेस्क्यू जंक्षन गया स्टेषन के प्लेटफार्म पर बच्चों को देखभाल व विकास प्रदान करता है। इस प्रकार सीमा बचा ली गई। अब वह विकास व व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है जिससे वह स्वावलंबी बन सकें।

किषोरापराध न्याय का कार्यक्रम

यह कार्यक्रम कानून से वंचित बच्चों को देखरेख व संरक्षण प्रदान करने के लिए है। केन्द्र सरकार राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों को विभिन्न निवास स्थान, कर्मचारियों का वेतन, भोजन, कपड़े आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह वित्तीय सहायता, 50:50 भागीदारी के आधार पर राज्य सरकारों व केन्द्र शासित क्षेत्रों को प्रदान की जाती है।

कामगार बच्चों की देखरेख व संरक्षण हेतु योजना: यह योजना सड़क किनारे के ढाबों व मैकेनिक की दुकानों पर कार्य करने वाले बच्चों के लिए है। इन बच्चों की पूरक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, इलाज, भोजन, मनोरंजन एवं खेलकूद के सामान की व्यवस्था का इसमें प्रावधान है।

महिलाओं एवं बच्चों की अपने व दूरस्थ क्षेत्रों में व्यावसायिक यौन शोषण हेतु तस्करी रोकने की प्रायोगिक परियोजना: यह परियोजना महिलाओं एवं बच्चों के यौन दुर्व्यवहार व तस्करी को रोकती है। इस परियोजना में छुड़ाने की कार्यवाही, पीड़ितों को अस्थाई शरण, एवं न्यायिक सहायता देना सम्मिलित है।

4.7 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

बाल अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Children Rights - NCPCR) की स्थापना है। इसे मार्च 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के तहत देष में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण, प्रसार एवं सुरक्षा हेतु एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया। आयोग को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के संदर्भ में बाल अधिकारों को सुनिष्ठित करने का अधिक विस्तृत उत्तरदायित्व सौंपा गया है। एक शिक्षक के रूप में आप अवश्य ही अपने राज्य में शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में इसके प्रावधानों से परिचित होंगे।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में एक अध्यक्ष व छः सदस्य होते हैं जिसमें से कम से कम दो महिला सदस्य होनी चाहिए जिन्हें बाल अधिकार एवं देखभाल से जुड़े क्षेत्रों का अनुभव हो। इस आयोग के मुख्य कार्यों में :

- बाल अधिकार संरक्षण के लिए कानून प्रदत्त उपायों को संरक्षित करना व पुनरावलोकित करना तथा इसके प्रभावशाली तरीके से लागू करने हेतु उपाय प्रस्तावित करना;
- इन उपायों के लागू होने की यथास्थिति की सरकार को नियमित समयान्तराल पर सूचना देना;
- बाल अधिकार के उल्लंघन की जाँच करना तथा ऐसे विषयों में कार्यवाही का सुझाव देना;
- बच्चों के अधिकारों पर आतंकवाद, सामुदायिक संघर्ष, दंगे, प्राकृतिक अथवा घरेलू हिंसा तथा अन्य किसी प्रकार के उत्पीड़न के प्रभावों या उन कारणों का परीक्षण करना जो अधिकारों के संरक्षण को रोकते हैं;
- विशिष्ट बच्चों तथा विभिन्न वंचित वर्गों आदि के बच्चों के अधिकारों का संरक्षण सुनिष्ठित करना;
- शिकायतों की जाँच करना तथा निम्न क्षेत्रों से जुड़े विषयों को स्वयं संज्ञान में लेना;

- i) बाल अधिकारों का उल्लंघन एवं अपवंचन;
 - ii) बच्चों के संरक्षण एवं विकास के लिए कानूनों का लागू न होना;
 - iii) बाल कल्याण से संबंधित नीतिगत निर्णयों, निर्देशों या आदेशों का पूर्णतः पालन न करना;
- समाज के विभिन्न वर्गों में विभिन्न प्रकाषणों, प्रचार माध्यमों, सेमिनार व अन्य उपलब्ध संचार माध्यमों के प्रयोग द्वारा इन अधिकारों के संरक्षण संबंधी उपलब्ध उपायों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए बाल अधिकार साक्षरता को बढ़ावा देना।

बाल अधिकार संरक्षण की कार्य प्रणाली (राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों पर)

यह आयोग सामान्यतः नीति-निर्मित किसी राज्य आयोग व अन्य आयोग में प्रतीक्षारत विषयों में हस्तक्षेप नहीं करता है। इसके साथ ही, आयोग को वर्तमान नीतियों के विश्लेषण एवं यह सुनिष्चित करने का अधिकार है कि वे बाल अधिकार सम्मेलन के अनुरूप हैं। यह भी अपेक्षा की गई है कि आयोग बाल अधिकार लागू होने व संरक्षण आदि की स्थिति पर केन्द्र सरकार को समय-समय पर प्रत्यावेदन (रिपोर्ट) दे। आयोग बच्चों द्वारा स्वयं या उनके पक्ष के किसी व्यक्ति द्वारा चाहने पर विभिन्न घटनाओं में प्रत्यक्ष जाँच प्रारंभ कर सकता है।

आयोग को षिकायत कैसे करें?

षिक्षा के अधिकार अधिनियम के भाग 31 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग व राज्य आयोगों को कुछ अधिकार दिए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं:

- कोई भी व्यक्ति, जिसके पास बाल अधिकार संबंधी कोई षिकायत है, स्थानीय प्रशासन को लिखित षिकायत दे सकता है;
- षिकायत करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा;
- षिकायत किसी भी भाषा में की जा सकती है, परंतु वह स्पष्ट व समझने योग्य भाषा में होनी चाहिए, एवं अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए;
- यदि आवध्यक हो तो आयोग षिकायत पर पुनःस्पष्टीकरण माँग सकता है;
- षिकायत प्राप्त होने के बाद, स्थानीय प्रशासन को दोनों पक्षों को समुचित समय देकर व सुनवाई कर तीन माह में निस्तारण करना होगा;
- यदि व्यक्ति संतुष्ट न हों तो वह राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या निर्धारित निकाय में अपील कर सकता है।

षिकायत करते समय यह ध्यान रखा जाए कि षिकायत:

- स्पष्ट व समझने योग्य हो न कि अस्पष्ट एवं अज्ञात।
- वास्तविक हो परंतु तुच्छ या सतही न हो।
- उठाया गया मुद्दा सम्पत्ति अधिकार जैसा दीवानी झगड़े का न हो।
- उठाया गया मुद्दा रोजगार संबंधी न हो।

- मुद्दा किसी अन्य विधि निर्धारित आयोग या अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन न हो।
- मुद्दा, आयोग द्वारा पहले ही निर्णित न हों।
- किसी अन्य आधार पर आयोग की सीमा से परे न हो।

आप षिकायत किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, आप अपनी षिकायत डाक या अन्य विधि से भेज सकते हैं या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्यालय में स्वयं जाकर जमा कर सकते हैं।

बाल अधिकार संरक्षण के लिए षिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

- केन्द्र सरकार द्वारा आयोग के कार्यान्वयन एवं निष्पादन हेतु राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को संसाधन सहायता।
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार उल्लंघन संबंधी षिकायतें दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन (सहायता सेवा) स्थापित कर सकता है जिसका एक पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा पर्यवेक्षण हो।
- राज्यों में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (State Commission for Protection of Child Rights - SCPCR) की स्थापना करना एवं जिन राज्यों में ऐसी व्यवस्था नहीं है वहाँ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्यान्वयन तक षिक्षा का अधिकार संरक्षण निकाय (Right to Education Protection Authority - REPA) के रूप में अंतरिम निकाय की स्थापना करना। षिक्षा का अधिकार संरक्षण निकाय, बाल अधिकार संरक्षण राज्य आयोग के कार्यान्वयन पर अपने सभी अभिलेख व संसाधन हस्तांतरित कर देगा। षिक्षा का अधिकार अधिनियम में केन्द्र सरकार द्वारा प्राथमिक षिक्षा एवं बाल विकास के क्षेत्र में वास्तविक अनुभव का ज्ञान रखने वाले 15 सदस्यों की एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान है। इसी प्रकार राज्यों में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राज्य स्तरीय सलाहकार समिति भी गठित होनी चाहिए। जिस प्रकार राष्ट्रीय सलाहकार समिति के कार्य केन्द्र सरकार को अधिनियम के प्रावधानों के राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु सलाह देता है, उसी प्रकार राज्य सलाहकार समितियाँ, राज्य स्तर पर इसी भूमिका का निर्वाह करें।

षिक्षा के अधिकार अधिनियम ने विद्यालयों में शारीरिक दंड निषिद्ध कर दिया है एवं कई राज्यों ने भी विद्यालयों में शारीरिक दंड पर रोक लगाने हेतु कदम उठाए हैं। आपने संभवतः देखा हो कि आपके विद्यालय में कुछ षिक्षक बच्चों के साथ मित्रवत हैं, वहीं कुछ अन्य बच्चों को हल्की सी गलती पर भी कठोर दंड देते हैं। धूप में बच्चों को घंटों खड़ा रखना, बैंच पर खड़ा रखना, बच्चे को चौक या डर्स्टर फैंककर मारना या बच्चे को इतना मारना कि उसे गंभीर चोट लग जाए, हमारें विद्यालयों में सामान्य है। षिक्षा के अधिकार अधिनियम में ये सभी कठोर दंड अब प्रतिबंधित हैं। ऐसी गतिविधियों को विद्यालयों में रोकने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 2007 में विद्यालयों में शारीरिक दंड पर विस्तृत दिशा निर्देष विकसित किए। पुनः 2009 में, आयोग ने विद्यालयों में बच्चों के प्रति गरिमापूर्ण आचारण सुनिष्चित करने के लिए कुछ अतिरिक्त दिशा-निर्देष दिए एवं राज्य सरकारों/संघपासित क्षेत्रों के दायित्वों से भी बच्चों, विशेषकर पहली पीढ़ी के षिक्षार्थियों, के प्रति आदर एवं गरिमापूर्ण आचरण को सुनिष्चित करने के लिए आवश्यक निर्देष जारी करने का निवेदन किया।

विद्यालयों में शारीरिक दंडः गीता की कहानी

गीता गया के एक विद्यालय में कक्षा छठी की छात्रा थी। उसके शिक्षक द्वारा पीटने के कारण उसका हाथ टूट गया। उसके माता-पिता ने प्रधानाचार्य व जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष विकायत की, पर विद्यालय प्रशासन ने विद्यालय की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए गीता के माता-पिता पर समझौता करने का दबाव डाला। गीता के माता-पिता इस वायदे पर राजी हुए कि भविष्य में उनके बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा पर विद्यालय अपने वायदे पर कायम न रह सका और बच्चे को पुनः शारीरिक दंड दिया। इस बार माता-पिता ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से संपर्क किया, जिसने विकायत व पुलिस को मामले की जाँच करने व बच्चे के संरक्षण हेतु उचित कार्यवाही करने के अंतरिम आदेष दिए।

बाल अधिकार संरक्षण की कार्य प्रणाली (राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों पर)

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने विद्यालय में बच्चों को शारीरिक दंड की आलोचना करते हुए कहा है “सभी प्रकार से शारीरिक दंड एवं दुर्व्यवहार मानवाधिकारों का आधारभूत उल्लंघन है – बच्चों को दंड से बचाने का उत्तरदायित्व विद्यालय, शिक्षक, सभी स्तरों के शैक्षिक प्रशासन एवं विद्यालय प्रबंधन सभी का बराबर का है।” (इन फोकस, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 1(3), फरवरी, 2008, पृष्ठ 7)।

यदि विकायत के अधिकार अधिनियम 2009 में दिए गए बच्चों के किसी अधिकार का हनन होता है, तो आप एक शिक्षक के रूप में ग्राम पंचायत या प्रखंड विकायत अधिकारी या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, कहीं भी विकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि आप इन संस्थाओं के निर्णय से सहमत नहीं हैं, तो अदालत जा सकते हैं, क्योंकि अब विकायत कानून द्वारा संरक्षित है।

रामसेवक मोतिहारी जिले के एक विद्यालय में कक्षा 3 का विद्यार्थी है। उसके माता-पिता दैनिक मजदूर हैं और काम की तलाश में अक्तूबर माह में पटना शहर आए। वे रामसेवक के प्रवेष के लिए आसपास के कई विद्यालयों में गए परंतु सभी प्रधानाचार्यों ने पहले वाले विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टी.सी.) माँगा जहाँ रामसेवक कक्षा तीन में पढ़ता था। माता-पिता परेषान हो गए क्योंकि वे पहले वाले विद्यालय से ऐसी किसी प्रमाणपत्र के लाने की आवश्यकता से अनजान थे। वे रामसेवक के प्रवेष को लेकर चिंतित थे, इसलिए पटना के प्रखंड विकायत अधिकारी (Block Education Officer – BEO) से मिले और उनके हस्तक्षेप से पटना के विद्यालय में रामसेवक का बिना किसी स्थानांतरण प्रमाणपत्र के प्रवेष मिल गया क्योंकि विकायत के अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है कि स्थानांतरण प्रमाणपत्र न होने पर भी किसी बच्चे को प्रवेष से मना नहीं किया जा सकता है।

बोध प्रब्लेम

टिप्पणी: क) अपने उत्तर दिए गए स्थान में दीजिए।

ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

1) बाल संरक्षण की किन्हीं दो केन्द्र सरकार की योजनाओं का वर्णन कीजिए।

- 2) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के किंही चार कार्यों को लिखिए।
-
.....
.....
.....
.....

- 3) बाल संरक्षण, बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की निरंतरता को कैसे बढ़ावा देता है?
-
.....
.....
.....
.....

4.8 राज्य स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण की कार्य प्रणाली

2001 की जनगणना के अनुसार देष के 5 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के 8.9 प्रतिष्ठत बाल श्रमिक बिहार राज्य से हैं। “मुख्य श्रमिकों” के रूप में 5 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के काम करने में इस राज्य का तीसरा स्थान है। “मुख्य श्रमिक” उन्हें कहते हैं जो एक वर्ष में छः माह या अधिक कार्य करते हैं जबकि “सीमांत श्रमिक” वे होते हैं जो वर्ष में छः माह से कम काम करते हैं, बिहार में ऐसे बच्चों की संख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 5.8 लाख है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि बिहार राज्य सरकार के मुख्य सरोकारों में बाल श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण है, बिहार में बाल श्रमिकों के रूप में कार्य कर रहे 5 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के 11 लाख से अधिक बच्चे हैं, जो देष में चौथी सबसे बड़ी संख्या है। बच्चों की देखभाल एवं मुख्यतः काम कर रहे बच्चों की स्थितियों में सुधार हेतु बिहार राज्य सरकार ने बच्चों के मूल अधिकारों के संरक्षण एवं उनके प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने को सुनिष्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

आपने अवश्य ही काम/रोजगार की तलाष में माता—पिता का परिवार समेत अपने गाँव या मूल स्थान से आसपास के शहरों या अन्य क्षेत्रों में पलायन के कारण बच्चों की विद्यालय से अनुपस्थिति देखी होगी। इस पलायन के कारण विद्यालय जाने वाले बच्चों का छीजन अथवा बीच में छोड़कर जाना (drop-out) व नामांकन न होने की दर बढ़ जाती है। सर्व शिक्षा अभियान का एक स्वागत योग्य कार्यक्रम यह है कि शिक्षा सुनिष्चित करने के लिए समुदाय को अपने बच्चों को आवासीय सेतु पाठ्यक्रमों के षिविरों (Residential Bridge Courses Camps – RBC Camps) में भेजने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिहार राज्य ने भी बड़ी संख्या में आवासीय सेतु पाठ्यक्रमों के षिविर स्थापित किए एवं 2008 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक टीम ने बिहार में जमुई एवं पटना जिलों का दौरा किया। दौरे का उद्देश्य आवासीय सेतु पाठ्यक्रमों के षिविरों में बच्चों को लाने हेतु सामाजिक गतिषीलता की प्रक्रिया का पुनरावलोकन करना तथा इस संदर्भ में समुदाय एवं शिक्षा अधिकारियों की भूमिका जानना था। जमुई एक दूरस्थ, कम पहुँच वाला जिला है,

जहाँ जनजातीय व विद्यालय न जाने वाले बच्चे बड़ी संख्या में हैं। इस जिले में बच्चों को विद्यालय भेजना सुनिष्ठित करने के लिए समुदाय को सफलतापूर्वक गतिषील किया गया है। ऐसी पर्यवेक्षण गतिविधियाँ यह सुनिष्ठित करती हैं कि राज्यों में संरक्षण संबंधी प्रावधान उचित प्रकार से लागू हों। छोटू एक 12 वर्ष का अनाथ बच्चा है। वह एक ढांबे पर अपनी आजीविका कमाने के लिए काम करता है तथा घास के पास के आवासीय सेतु पाठ्यक्रमों के बिंदु में जाता है। इस प्रकार वह विद्या प्राप्त करने के अपने सपने को भी पूरा कर रहा है। वह बड़ा होकर पुलिस अधिकारी बनना चाहता है।

बाल अधिकार संरक्षण की कार्य प्रणाली (राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों पर)

बिहार राज्य ने जून 2009 में बाल संरक्षण, बचाव एवं पुनर्वास हेतु राज्य कार्य योजना जारी की। यह कार्य योजना मुख्यतः बाल श्रमिकों एवं गरीबी की पहचान, आर्थिक अपवंचन एवं अषिक्षा को बाल श्रम के मूल कारण के रूप में पहचाने पर कार्य करती है। राज्य सरकार का दृष्टिकोण “बिहार को एक बाल श्रम मुक्त राज्य बनाना”, सभी बच्चों के विद्यालय जाने के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना, प्रत्येक बालक के उचित पोषण एवं संपूर्ण मानसिक, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास पर बल देना” है। बिहार विद्या परियोजना समिति बाल श्रमिकों की पहचान, विद्यालय में बच्चों के नामांकन एवं ठहराव के लिए समाज को गतिषील करने, तथा आवासीय सेतु पाठ्यक्रमों के उपयोग के लिए उत्तरदायी है।

विद्या का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य सरकारें प्रारंभिक विद्या एवं बाल विकास के क्षेत्र में प्रायोगिक अनुभव रखने वाले अधिकतम 15 सदस्यों की एक राज्य सलाहकार समिति की स्थापना करेगी। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, राज्य में बच्चों के अधिकार सुनिष्ठित करने के लिए दिनांक 16 अगस्त, 2010 को गजट द्वारा बाल अधिकार संरक्षण हेतु बिहार आयोग 2010 स्थापित किया गया। इस आयोग के कुछ उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं :

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के साथ समन्वय स्थापित व विकसित करना।
- बाल अधिकारों के लिए स्थापित वर्तमान नियमों, योजनाओं एवं प्रक्रियाओं का विश्लेषण करना।
- बच्चों को प्रभावित करने वाली योजनाओं या प्रक्रियाओं के किसी पक्ष की जाँच करना एवं प्रत्यावेदन देना।
- राज्य सरकार को समय-समय पर प्रगति आख्या देना।
- बच्चों द्वारा स्वयं या उनके पक्ष में किसी व्यक्ति द्वारा चाहने पर प्रत्यक्ष जाँच प्रारंभ करना। उदाहरणार्थ – यदि एक बच्चे को विद्यालय में शारीरिक दंड दिया जाता है (जो विद्या के अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा प्रतिबंधित है), तो वह बच्चा या उसके माता-पिता विकायत दर्ज करा सकते हैं एवं निस्तारण की माँग कर सकते हैं। यद्यपि आयोग उन मुद्दों की जाँच नहीं करेगा जो पहले से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या नीति सम्मत किसी अन्य आयोग के समक्ष विचाराधीन हैं।
- विकायत की जाँच के दौरान आयोग राज्य सरकार या अन्य संगठनों से सूचना माँग सकता है एवं सूचना प्राप्त न होने की दशा में जाँच प्रारंभ कर सकता है।
- अपने कार्य में, बच्चों से संबंधित सरकारी विभागों व संगठनों में बच्चों के दृष्टिकोण को प्रोत्साहन, सम्मान एवं उचित स्थान देना।
- बाल अधिकार संबंधी सूचनाओं को एकत्रित करना, प्रस्तुत करना व वितरित करना (अपनी वेबसाइट पर भी)।

- बाल अधिकार संबंधी पाठ्यवस्तु को विद्यालय पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण, पुलिस व सरकारी अधिकारियों व बच्चों से संबंधित अन्य व्यक्तियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित कराने को बढ़ावा देना।

यह नियम बाल अधिकार हनन की दषा में बच्चे या उसके माता-पिता द्वारा शिकायत दर्ज कराने हेतु बाल सहायता प्रकोष्ठ (Child Help Cell) की स्थापना का सुझाव भी देता है। शिकायत एस.एम.एस., दूरभाष या लिखित पत्र किसी भी माध्यम से की जा सकती है। शिकायतें गोपनीय रखी जाएँगी व शिकायतकर्ता की पहचान नहीं बताई जाएँगी। नियम 2010 में 15 सदस्यीय राज्य सलाहकार समिति की स्थापना का भी प्रावधान है, जिसमें एक निदेशक भी होगा। समिति के सदस्यों में:

- न्यूनतम चार प्रतिनिधि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे;
- कम से कम एक व्यक्ति विशिष्ट बच्चों के क्षेत्र में कार्य करने के वास्तविक अनुभव वाला हो;
- एक व्यक्ति पूर्व-प्राथमिक स्तर पर अनुभव वाला हो;
- कम से कम दो व्यक्ति शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता व अनुभव रखते हों;
- समिति के 50 प्रतिष्ठत सदस्य महिलाएँ हों।

जैसा कि पहले बताया गया है कि समिति को यह सुनिष्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि बाल अधिकारों का हनन न हो एवं यदि बाल अधिकारों का हनन होता है तो एक वस्तुनिष्ठ व पारदर्शी रूप से उचित कार्यवाही की जाए। बच्चे जो किसी भी प्रकार की प्रताड़ना, भेदभाव, शारीरिक दंड या दुर्व्यवहार से पीड़ित हों, सीधे अपने अधिकारों के संरक्षण हेतु समिति से संपर्क कर सकते हैं। इस संदर्भ में आपको एक शिक्षक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है जिसमें आप बच्चों या उनके माता-पिता की समिति को संपर्क करने एवं संरक्षण माँगने में मदद कर सकते हैं।

राज्य में अन्य बहुत-सी योजनाएँ हैं जो सुनिष्चित करती हैं कि किसी भी रूप में बाल अधिकारों का हनन न हो। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने केन्द्र सरकार द्वारा पोषित **बाल बंधु परियोजना**, बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु 2010 में प्रारंभ की। यह एक ऐसी परियोजना है जिसका लक्ष्य सामुदायिक दंगों या उपद्रव से पीड़ित बच्चों के अधिकारों को सुनिष्चित करना है। वर्तमान में यह परियोजना पाँच राज्यों – आंध्र प्रदेश, बिहार, आसाम, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र में लागू हैं। बिहार राज्य में यह परियोजना पञ्ची चम्पारण जिले में पथाई एवं रोहतास प्रखंड, एवं श्योहर जिले के लियानी एवं जमुई खैरा प्रखंड में लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत स्थानीय समुदाय के कुछ युवाओं को स्वयंसेवी के रूप में प्रशिक्षण दिया जाता है। ये युवा स्वयंसेवी मुख्यतः सुदूर क्षेत्रों के जनजातीय परिवारों के बच्चों के नामांकन की जिम्मेदारी निभाते हैं। बाल बंधु बच्चों तक शिक्षा की पहुँच, स्वास्थ्य, पोषण एवं सुरक्षा उपायों को पहुँचाते व प्रशिक्षित करते हैं। वे समुदाय को गतिषील बनाने में भूमिका निभाते हैं। उदाहरणार्थ पञ्ची चम्पारण जिले के पथाई प्रखंड में 116 आँगनवाड़ी केन्द्र जनवरी, 2011 से पहले निश्चिक्रय थे पर इनके प्रयासों से वे सक्रिय हुए तथा अब छ: वर्ष से कम आयु के 4000 बच्चों को लाभ दे रहे हैं।

बाल संरक्षण के क्षेत्र में एक प्रयासः बाल सखा

बाल सखा, बिहार राज्य में बाल संरक्षण के क्षेत्र में एक प्रमुख संगठन है। यह संगठन 1988 में बिहार राज्य में एक सामाजिक कार्यकर्ता श्री सनत कुमार सिन्हा ने बिहार के सरकारी गढ़ों में रह रहे बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रारंभ किया। संगठन संरक्षण के मुद्दों पर दो स्तरों पर कार्य करता है – पहला सीधे सामुदायिक हस्तक्षेप द्वारा तथा दूसरा – स्वयंसेवी संस्थाओं, प्रचार माध्यमों व सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी व गतिषीलता द्वारा। 2002 में बाल सखा ने बिहार में किषोरों की वास्तविकता जानने के लिए एक राज्य स्तरीय अध्ययन किया तथा बहुत-सी कमियाँ पाईं। अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि विगत 10 वर्षों से 90 प्रतिष्ठित किषोरों के मुकदमे अदालत में पड़े हैं। इसने पटना, मुंगेर व भागलपुर जिलों के दस गाँवों में समुदाय को बाल अधिकार उल्लंघन रोकने हेतु गतिषील किया। विगत दस वर्षों में बाल सखा ने षिक्षा के अधिकार संबंधी मुद्दों पर सामुदायिक गतिषीलता, निजी विद्यालयों में श्रवण तथा षिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत गरीब बच्चों को विद्यालयों में प्रवेष के लिए षिक्षकों से विचार-विमर्श पर ध्यान केन्द्रित किया है।

बाल सखा के प्रयासों के कारण 147 बाल श्रमिकों ने बाल संरक्षण केन्द्र में प्रवेष लिया, 77 बच्चे छुड़ाए गए व बाल संरक्षण केन्द्र भेजे गए, 120 बाल श्रमिकों व 135 विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों का विद्यालयों में नामांकन हुआ तथा 12 बच्चे, जल्दी विवाह से बचाए गए।

बाल अधिकार संरक्षण की कार्य प्रणाली (राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों पर)

बोध प्रष्ठ

- टिप्पणी: क) अपने उत्तर दिए गए स्थान में दीजिए।
ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।
- 4) बिहार राज्य सरकार द्वारा बाल अधिकार संरक्षण के लिए प्रारंभ की गई योजनाओं का वर्णन कीजिए।
-
.....
.....
.....
.....

4.9 सारांश

इस इकाई में हमने बच्चों के अधिकारों के संरक्षण की विभिन्न कार्य प्रणालियों की चर्चा की। षिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने केन्द्र एवं राज्यों में बाल अधिकार संरक्षण कार्य प्रणालियों को संगठित करने का प्रयास किया। षिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के विभिन्न अनुच्छेद स्वयं बच्चों के षिक्षा के अधिकार को प्रत्येक परिस्थिति में सुरक्षित करते हैं। तो यदि बच्चे को विद्यालय आयु, स्थानांतरण, स्थानांतरण प्रमाणपत्र की अनुपलब्धता या छीजें आदि के कारण प्रवेष देने से मना करता है, तो वे सक्षम अधिकारी के पास प्रवेष

हेतु जा सकते हैं। शारीरिक दंड भी विद्यालयों में प्रतिबंधित हैं। हमारे पास संगठित अद्याकरण जैसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग हैं जो सुनिष्ठित करते हैं कि बाल अधिकारों का उल्लंघन न हो। इसके साथ ही निजी सार्वजनिक भागीदारी के रूप में बहुत से प्रयास जैसे चाइल्डलाइन सेवा केन्द्र, बाल बंधु एवं बाल सखा आदि, किए गए हैं जो बच्चों के अधिकारों के संरक्षण को सुनिष्ठित करने व बच्चों को अपने बचपन का आनंद लेने में मदद करते हैं।

4.10 इकाई के अंत में अभ्यास

मान लीजिए आपके क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य चल रहा है, जहाँ कुछ श्रमिक स्थानांतरित होकर आए हैं। इन श्रमिकों के 6 से 12 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे भी हैं। पड़ोस का विद्यालय इन्हें प्रवेष देने का इच्छुक नहीं है। इन बच्चों को पड़ोस के विद्यालय में नामांकित कराने हेतु आप क्या कदम उठाएँगे? एक रिपोर्ट लिखिए।

4.11 बोध प्रष्ठों के उत्तर

- 1) दो प्रमुख केन्द्र सरकार की योजनाएँ हैं: चाइल्ड लाइन सर्विस तथा घुमंतू बच्चों हेतु एक समन्वित कार्यक्रम
 - बाल अधिकार संरक्षण के लिए कानून प्रदत्त उपायों को संरक्षित करना व पुनरावलोकित करना तथा इसके प्रभावशाली तरीके से लागू करने हेतु उपाय प्रस्तावित करना;
 - इन उपायों के लागू होने की यथास्थिति की सरकार को नियमित समयान्तराल पर सूचना देना;
 - बाल अधिकार के उल्लंघन की जाँच करना तथा ऐसे विषयों में कार्यवाही का सुझाव देना;
 - बच्चों के अधिकारों पर आतंकवाद, सामुदायिक संघर्ष, दंगे, प्राकृतिक अथवा घरेलू हिंसा तथा अन्य किसी प्रकार के उत्पीड़न के प्रभावों या उन कारणों का परीक्षण करना जो अधिकारों के संरक्षण को रोकते हैं;
 - विशिष्ट बच्चों तथा विभिन्न वंचित वर्गों आदि के बच्चों के अधिकारों का संरक्षण सुनिष्ठित करना;
- 2) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मुख्य कार्यों निम्नलिखित हैं:
 - बाल अधिकार संरक्षण के लिए कानून प्रदत्त उपायों को संरक्षित करना व पुनरावलोकित करना तथा इसके प्रभावशाली तरीके से लागू करने हेतु उपाय प्रस्तावित करना;
 - इन उपायों के लागू होने की यथास्थिति की सरकार को नियमित समयान्तराल पर सूचना देना;
 - बाल अधिकार के उल्लंघन की जाँच करना तथा ऐसे विषयों में कार्यवाही का सुझाव देना;
 - बच्चों के अधिकारों पर आतंकवाद, सामुदायिक संघर्ष, दंगे, प्राकृतिक अथवा घरेलू हिंसा तथा अन्य किसी प्रकार के उत्पीड़न के प्रभावों या उन कारणों का परीक्षण करना जो अधिकारों के संरक्षण को रोकते हैं;
 - विशिष्ट बच्चों तथा विभिन्न वंचित वर्गों आदि के बच्चों के अधिकारों का संरक्षण सुनिष्ठित करना;
- 3) बाल संरक्षण के विभिन्न प्रावधान यह सुनिष्ठित करते हैं कि 6 – 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों का उनके पड़ोस के विद्यालय में दाखिला किया जाए, उनकी षिक्षा हेतु सभी अवसर प्रदान किए जाएँ, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हों एवं उन्हें किसी प्रकार का दंड न दिया जाए। ये सभी उपाय बच्चों के विद्यालयीय अनुभव को सुखद बनाते हैं और प्राथमिक षिक्षा में उसकी निरंतरता को बढ़ावा देते हैं।
- 4) बिहार राज्य ने जून 2009 में बाल संरक्षण, बचाव एवं पुनर्वास हेतु राज्य कार्य योजना जारी की जो मुख्यतः बाल श्रमिकों एवं गरीबी की पहचान, आर्थिक अपवंचन एवं अषिक्षा को बाल श्रम के मूल कारण के रूप में पहचानने का कार्य करती है। राज्य में बाल बंधु परियोजना भी लागू की गई है।

4.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें

कारलोइन विलो (2010), चिल्ड्रन्स राइट टू बी हियर्ड एंड इफैविटबली प्रोटेक्टेड, सेव द चिल्डन, स्वीडन।

श्रम संसाधन मंत्रालय (2009), बाल श्रम के उन्मूलन, मुक्ति एवं पुनर्वास हेतु राज्य कार्य योजना, बिहार सरकार, पटना।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (2009) षिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, भारत सरकार, नई दिल्ली।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) में बच्चों का संरक्षण, भारत सरकार, नई दिल्ली।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (2010), निःशुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा का अधिकार, 2010, एफ.ए.क्यू., राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली।

यूनिसेफ (2009): “बाल संरक्षण” सांसदों हेतु एक हस्तपुस्तिका, यूनिसेफ, स्वीट्जरलैंड।

बाल अधिकार संरक्षण की कार्य प्रणाली (राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों पर)